TITLE CODE : UPHIN49731

राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका

बसावन इंडिया

वर्ष : 1, अंक : 02 आजमगढ़ • अगस्त 2021 • मूल्य : ₹30

OBC

ओबीसी

OBC

ओबीसी

OBC

ओबीसी

TITLE CODE : **UPHIN49731**
आजमगढ़ (उ.प्र.) ▪ माह- अगस्त
सन् - 2021 ▪ वर्ष - 1 ▪ अंक - 02

बसावन इंडिया

संपादक
नरेन्द्र प्रताप

सह-सम्पादक
डॉ. नरेश कुमार साहू

प्रबंध सम्पादक
अरविंद कुमार यादव

कंटेंट एडिटर
डॉ. प्रमोद कुमार
आरती रानी प्रजापति
बिनिका दुर्गम
कमलेश यादव
मैत्रेयी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
दिल्ली एनसीआर - अतुल कुमार
लखनऊ - देशराज
बिहार - आलोक नाथ 'भंटू'
छतीसगढ़ - गणेश सोनकर
मध्यप्रदेश - तेजबहादुर
महाराष्ट्र - आकाश खोब्रागड़े
राजस्थान - डॉ. कालूलाल कुलमी
प्रयागराज - धैर्य मित्र सिंह
कानपुर - सुनील कुमार सुनील
कुशीनगर - कोमल प्रसाद

विधिक सलाहकार
अमरजीत चक्रवर्ती
रविशंकर यादव

डिजाइन एंड ले-आऊट
इरफान खान
+91 9329960007

संपादकीय कार्यालय
31 शहीद द्वारा, आजमगढ़
उत्तरप्रदेश पिन - 276 001
संपर्क : +91 9453171770
Email : basavanindia@gmail.com

संपादक : नरेन्द्र प्रताप
स्वत्वाधिकार, मुद्रक एवं प्रकाशक नरेन्द्र प्रताप के लिए स्वाभिमान प्रकाशन, शहीद द्वारा (सिविल लाईन) आजमगढ़ से मुद्रित कराकर 'बसावन इंडिया' हिंदी मासिक पत्रिका का कार्यालय 31 शहीद द्वार आजमगढ़ उत्तरप्रदेश - 276 001

इस अंक की झलकियां

गैर-ब्राह्मण भी होंगे मंदिर में पुजारी - स्टालिन सरकार का फैसला 02
राजनीतिक पार्टियों का सवर्ण गाथा 13
राजनीति की राहें सुकून भरी तो न थी, राजस्थान की राजनीतिक परिघटना 15
अर्जकों के श्रम पर मौज उड़ाते है अनर्जक : रामस्वरुप वर्मा 18
केंद्र व इलाहाबाद विवि की उदासीनता, पंत छात्रावास की बदहाल स्थिति 20
इलाहबाद के 10 नए अड्डे 24
आखिर थमता क्यों नही : किसान आंदोलन 25
बस्तर की तुपकी 28
क्या हर गोलियों पर लिखा है, नक्सलियों का नाम? 29
पढ़ाई लिखाई का नया अंदाज 31
कोरोना संकट एवं मानवता 33

05 **जातीय जनगणना से परहेज क्यों?** जनगणना कोई लोक कल्याण का कार्यक्रम नहीं है यह देश के लोगों...

10 **भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय राजनीति** – स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम आम चुनाव से लेकर चौथे आम चुनाव तक भारत संघ राज्य और...

16 **ताकि कन्हैया आता रहे...** हम अपना घर स्वच्छ और बहुत सुंदर रखना चाहते हैं। घर के बाहर प्रवेश...

21 **इलाहाबाद से प्रयागराज के पथ पर** जब कोई शहर आबाद होता है तो इलाहाबाद होता है...

इस अंक में प्रकाशित सामग्री के आंशिक या पूर्ण रुप से पुनर्प्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं। प्रकाशित सामग्री में दिए गए तथ्य संबंधी विवादों का पूर्ण दायित्व लेखक का है। संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं सहयोगी संपादकीय टीम इसके लिए हरगिज उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान हेतु न्याय क्षेत्र आजमगढ़ होगा।

विवादों से नहीं पा रहा पार शिक्षक भर्ती 69 हजार

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) कोई नई भर्ती नहीं हो रही है, बल्कि यह भर्ती 1, 37, 500 शिक्षामित्रों को शिक्षक पद से हटाने के बाद रिक्त हुए पदों पर भर्ती हो रही है। यहां पर इन पदों के लिए हो रही भर्ती दो चरणों में होने वाली है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में रिक्त हुए पदों पर भर्ती सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दूसरे चरण पर हो रही है। पहले चरण में 68500 की नियुक्ति प्रक्रिया (68 500 Assistant Teachers) जैसे- तैसे संपन्न हुई है। अब अभी भी इसमें लगभग एक तिहाई सीट खाली ही रह गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अभी तक लड़ रहें है।

विवादों में रही शिक्षक भर्ती -

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) का फार्म दिसंबर माह 2018 में निकाला गया था। दिसंबर 2018 में निकाले गए फॉर्म की परीक्षा 06 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी। जिसमें पेपर लीक का मामला व्यापक रूप से सामने आया और कई महीने आंदोलन चला लेकिन सरकार इसको मैनेज कर ली। परीक्षा से पूर्व ही छात्रों ने प्रदर्शन कर विज्ञापन में पासिंग मार्क (कटऑफ) लगाने की मांग की, लेकिन उस समय इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

परीक्षा संपन्न होने के दूसरे दिन यानी 07 जनवरी को ही नया पासिंग मार्क 60 फीसदी ओबीसी-एससी-एसटी और 65 फीसदी जनरल अभ्यर्थियों के लिए घोषित कर दिया गया था। शिक्षामित्रों की तरफ से इस मामले को चुनौती दी गई और फाइनल निर्णय सरकार के पक्ष में इस साल मई महीने में आया है।

कहाँ से शुरू होता है विवाद -

69000 भर्ती में अनारक्षित के लिए 34589, ओबीसी के लिए 18598, एससी के लिए 14459 एवं एसटी के लिए 1354 पद आरक्षित थे। जिसमें एसटी के पर्याप्त अभ्यर्थी 60 प्रतिशत कटऑफ तक न पहुँच पाने के चलते 1133 पद रिक्त रह गए, यानि सबसे पहले आरक्षित वर्ग का नुकसान हुआ और सबसे कमजोर वर्ग एसटी समाज के सिर्फ 122 अभ्यर्थी ही चयन सूची में जगह बना पाए। 01 जून को 67, 867 अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची जारी की गई जिसमें कैटेगरी सब कैटेगरी एवं गुणा अंक नहीं बताया गया। कैटेगरी, सब कैटेगरी और गुणांक छुपाने से ही शुरु होता है।

आरक्षण में महाघोटाला-

50.50 प्रतिशत अनरिजर्व और 49.50 प्रतिशत रिज़र्व सीट होती है। 50 प्रतिशत की खुली सीटों पर, अनारक्षित कट ऑफ (67.11) से ऊपर लगभग 28000 ओबीसी अभ्यर्थी चयनित हो रहे थे, लेकिन

देश में आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार की किसी भी तरह से अनदेखी करना संविधान के खिलाफ है। अभी यूपी सरकार ने यूपी के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी की है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को अपनी अंतरिम रिपोर्ट में दर्शाया है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्तियाँ दे दी गई। चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन हुआ है। ओबीसी के लिए आरक्षित 18,598 सीटों में से 5,844 सीटों पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन कर ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। जानबूझ कर संवैधानिक अधिकारों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना पूरी तरह से संविधान के आदर्शों, नीतियों एवं देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ धोखा करना है। किसी राज्य में इतना बड़ा भ्रष्टाचार एवं संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन होने का मतलब है कि वहाँ पर पूरी तरह से संवैधानिक तंत्र असफल हो चुका है। महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भ्रष्टाचार के माध्यम से भारत को संविधान को सीधी चुनौती दी है। अतः निवेदन है कि देश के संविधान और देश के युवाओं के अधिकारों को बचाने के लिए जल्द से जल्द इस गंभीर विषय की जाँच करवाई जाए ताकि युवाओं के साथ हुए इस अन्याय को यहीं पर खत्म किया जा सके।

संजय सिंह
राज्यसभा सांसद

वहां पर मात्र 13007 ओबीसी अभ्यर्थियों को (ओवरलैप) सिलेक्ट किया गया, उसके बाद ओबीसी का कोटा 27 प्रतिशत (18598) में मात्र 2637 ओबीसी अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया।

गुमराह कर रही है सरकार -

सरकार और सरकार के चहेते मंत्री, अधिकारी गुमराह कर रहे है कि 27 प्रतिशत (18598) ओबीसी कोटा की जगह 31000 ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन किया। सरकार द्वारा दिया जा रहा यह आंकड़ा भ्रम फैलने वाला है। सरकार ऐसे इसको दिखा रही है जैसे

Tweet

Dilip Mandal
@Profdilipmandal

Replying to @myogiadityanath

सारे कैंडिडेट की कटेगरी वाइज रैंकिंग वेबसाइट पर डाल दीजिए। सबका मुँह बंद कर दीजिए। ओबीसी भी प्रसन्न हो जाएगा और एससी भी। इसमें छिपाने की कोई बात ही नहीं है। आपकी इतनी ईमानदार सरकार है!

की ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन कम नहीं ज्यादा हुआ है, जो सही नहीं है।

क्या होना चाहिए था -

इस आरक्षण घोटाले में एमआरसी (मेरीटोरियस रिजर्व कैटेगरी) को हथियार के बतौर उपयोग किया गया है। अनारक्षित वर्ग में चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मनचाहा जिला देने के नाम पर अनारक्षित सीट की जगह आरक्षित श्रेणी में डाल कर आरक्षित सीट दिया गया।

सरकार का रवैया -

शिक्षक भर्ती में हुए इतने बड़े आरक्षण घोटाले के खिलाफ जब अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार उनकी बात सुनने के बजाय लाठी मार रही है और गिरफ्तारियां कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास पर प्रदर्शन के दौरान आश्वासनों की गठरी के साथ लाठियां मिली। पुलिस ने महिला अभ्यर्थियों

तक को नही बक्सा, कटी को भयानक चोटें आई। 19 जुलाई को मुख्यमंत्री के आवास पर हुए प्रदर्शन के बाद सरकार ने आरक्षण घोटाले को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और अभ्यर्थियों पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाने लगे। स्वंय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धमकी भरे अंदाज में ट्वीट करते हुए नौजवानों की संपत्ति जप्त कर लेने की बात कही।

क्या मानता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -

Tweet

Yogi Adityanath

Dilip Mandal

आरोप है कि ओबीसी और दलितों की 15000 नौकरियों की चोरी हुई है। मुझे भी लगता है कि आपकी "ईमानदार" सरकार में ये कैसे संभव है? आप हर कैंडिडेट की कटेगरी वाइज पूरी रैंकिंग वेबसाइट पर डाल दीजिए। विरोधियों का मुँह बंद कर दीजिए।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के रिपोर्ट के अनुसार 5844 आरक्षित वर्ग की सीट को कम कर दिया गया। इसके साथ ही 27 प्रतिशत की जगह 03.86 प्रतिशत ही आरक्षण लागू हुआ यानि 15, 961सीट का नुकसान। दोनों को जोड़ने पर 21, 805 सीट का नुकसान सीधे सीधे ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का हो रहा है। इसमें एससी, एसटी के अभ्यर्थियों के आरक्षण का नुकसान 4, 485 सीट का हुआ क्योंकि एससी एसटी वर्ग को 22.50 प्रतिशत की जगह 16 प्रतिशत ही आरक्षण मिला। इस तरह टोटल आरक्षित वर्ग को 26, 290 सीटों का नुकसान साफ साफ हो रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। चाहे वह 69000 शिक्षक भर्ती हो, नीट (हृश्वश्व') हो, खण्ड शिक्षा अधिकारी (•श्वह) भर्ती का मसला हो या लोकसेवा आयोग में लेटरल एंट्री के साथ कई नियमों में बदलाव।

आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय के सवाल पर व्यापक आंदोलन की जरूरत है। इस दौर में आंदोलन को मजबूत करके ही अपने हक की लड़ाई और समाज की लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसके लिए जिले स्तर पर आंदोलन को संगठित करके प्रदेश व्यापी आंदोलन तेज किया जाना आज की जरूरत है। ■

सुनील कुमार मौर्या

@ +91 81157 66703

मनोज यादव
कार्यकारी अध्यक्ष
कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग उ.प्र.

होना तो यह चाहिए था कि पहले सीट के सापेक्ष मेरिट बनती और उसके बाद जिला आवंटन किया जाता यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग की सीट हासिल किए हैं तो उनको आरक्षित जिला पाने का हक था और उनको मिलना ही चाहिए लेकिन सीट अनारक्षित वर्ग की ही मिलेगी। सरकार ने यहीं पर खेल किया। आरक्षित वर्ग के जिले के साथ सीट भी आरक्षित वर्ग की ही दी और अब इसका ठीकरा सॉफ्टवेयर के ऊपर फोड़ा जा रहा है।

अमरेन्द्र सिंह पटेल
अध्यक्ष ओबीसी
एससी संगठित मोर्चा, उ.प्र.

69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हुआ और बहुत ही व्यापक स्तर पर आरक्षण का घोटाला हुआ है जिसका बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा अभ्यर्थियों की आवेदित कैटगरी, चयनित कैटगरी एवं गुणवत्ता गुणांक के अनुरूप लिस्ट संपूर्ण विवरण के साथ आज तक सार्वजनिक नहीं की गयी। हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध भी किया कि माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश/रिपोर्ट लागू करते हुए अनारक्षित वर्ग की चयनित कट ऑफ 67.11 प्रतिशत के नीचे आरक्षित वर्ग के ओबीसी अभ्यर्थियों का 27 प्रतिशत तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का 21 प्रतिशत आरक्षण का पालन करते हुए नियुक्ति करे और संपूर्ण लिस्ट सार्वजनिक की जाए जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

नीट में ओबीसी आरक्षण

अन्य पिछड़ा वर्ग को ये आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? इसके लिए कई पार्टियों के प्रमुखों ने बाकायदा मोदी सरकार को चीट्ठी लिखकर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग की। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इसी बात का इंतजार था कि 27 ओबीसी मंत्री बनाकर उनके ज्ञापन के बाद ही ओबीसी आरक्षण लागू करेंगे।

आज कल देने की लंबी लंबी फेहरिस्त देखने को मिल रही है। जिसे देखो वही लूटाए जा रहा है। हाल ही में ओबीसी के बहुत सारे नेता मंत्री पद से सुशोभित किए गए बताया गया कि ओबीसी वालों की लॉटरी लग गई है कई नेता मंत्री बन गए हैं। इधर धड़ा-धड़ प्रधानमंत्री मुफ्त के राशन, घर और पता नहीं क्या-क्या लूटाए जा रहे हैं और लगता है बहुत जल्दी देने की शुरुआत कर दी है, क्यूंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी समय है। इस दौरान पता नहीं और क्या कुछ लूटा बैठें। लेकिन ताज्जुब तब होता है जब छीनने वाला कुछ देने की बात कर रहा होता है। इतिहास गवाह है ताकतवर लोग छीनते आ रहें है। ताकत का अर्थ समर्थवान से नहीं बल्कि साम, दाम, दंड, भेद वालों से है। जैसे भी हो अपने पास होना चाहिए। नहीं तो क्या कारण है कि देश की आबादी के लगभग 5 प्रतिशत वाले करीब 95 प्रतिशत पदों और संसाधनों पर कुंडली मार कर बैठे हैं और देश की असली मूलनिवासी, जो कभी यहां के प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, आज उनकी नाक के नीचे से उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं लेकिन उनमें सुगबुगाहट तक नहीं होती। अब नीट के मामले को ही देख लें। नीट सिर्फ मेडिकल में प्रवेश को लेकर विवाद की बात नहीं है। यहां हमें समझना होगा कि ये इससे कहीं अधिक बर्चस्ववादी लोग जो हर जगह पर अपना कब्जा जमाए बैठे है ये उनकी बात है। देश के कोई भी जगह हो ये तथाकथित उच्च वर्ण वाले अपनी जगह बनाए रखने के प्रति न सिर्फ सजग रहते हैं बल्कि उसके लिए हमेशा तीन-पांच कर संघर्ष करते रहते हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों से लेकर राज्य मंत्रालयों, डॉक्टर, इंजिनियर, विश्वविद्यालयों में वीसी, प्रोफेसर, कोर्ट में जज सभी जगहों पर इनका कब्जा है। ध्यान दें मैं कब्जा बोल रहा हूं। और बाकी ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग मानोलकवा ग्रस्त हो गए हों वैसे पड़े रहते हैं।

मेडिकल प्रोफेशन में प्रवेश को लेकर कोई सरकार हो इन्हीं वर्चस्ववादी लोगों के आगे झुकी नज़र आती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1835 में प.बंगाल में लार्ड विलियम वैंटिक ने जब मेडिकल कॉलेज खोला तो यही वर्णवादियों ने इसका विरोध ये कहकर किया कि इसमें मरे हुए लोगों के शरीर की चीर-फाड़ होती है। उनका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन जैसे ही इन धूर्तों को इसमें पैसा रुतबा दिखा, इसमें अपना घुसपैठ कर लिया और नीट भी सिर्फ और सिर्फ इन वर्णस्वामियों के लिए बर्चस्व बनाये रखने का पाखंड है।

अब नीट विवाद को समझते हैं -

नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट परीक्षा की तारीख़ का ऐलान हो चुका है। 12 सितंबर को देशभर में मेडिकल में दाखिला के लिए नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन इस परीक्षा में ओबीसी आरक्षण न दिए जाने को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि 2017 से लेकर 2021 तक 11 हज़ार ओबीसी छात्रों को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल सका है और ये सीटें सामान्य वर्ग के छात्रों को मिली है। देश की विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जा रहा है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को ये आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? इसके लिए कई पार्टियों के प्रमुखों ने बाकायदा मोदी सरकार को चीट्ठी लिखकर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग की।

आईये अब ऑल इंडिया कोटा को समझते है -

देश भर में केंद्र सरकार और पीएसयू में काम कर रहे लगभग 40 से ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठनों के समूह 'ऑल इंडिया

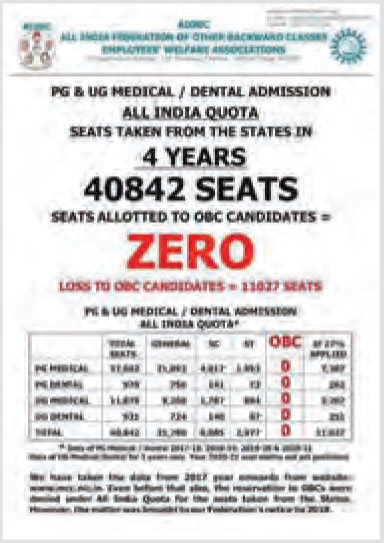
AIOBC
ALL INDIA FEDERATION OF OTHER BACKWARD CLASSES
EMPLOYEES' WELFARE ASSOCIATIONS

PG & UG MEDICAL / DENTAL ADMISSION
ALL INDIA QUOTA
SEATS TAKEN FROM THE STATES IN
4 YEARS
40842 SEATS
SEATS ALLOTTED TO OBC CANDIDATES =
ZERO
LOSS TO OBC CANDIDATES = 11027 SEATS

PG & UG MEDICAL / DENTAL ADMISSION
ALL INDIA QUOTA*

	TOTAL SEATS	GENERAL	SC	ST	OBC	IF 27% APPLIED
PG MEDICAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
PG DENTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
UG MEDICAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
UG DENTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
TOTAL	40,842	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]

ओबीसी फेडरेशन' ने केंद्र सरकार पर ओबीसी छात्रों को उनके अधिकार से वंचित रखने का आरोप लगाया। इस फेडरेशन का दावा है कि 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण साल 2017 से साल 2020 तक छात्रों को न मिलने के कारण 11 हज़ार से ज़्यादा ओबीसी समुदाय से आने वाले छात्रों को नुक़सान हुआ है। इस नुक़सान का फ़ायदा सामान्य वर्ग के लोगों को हुआ है। साल 2017 से लेकर 2020 के दौरान इन सीटों पर ओबीसी आरक्षण ना मिलने से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (मेडिकल-एमडी, एमएस) में 7, 307, अंडर-ग्रेजुएट प्रोग्राम (मेडिकल-एमडी, एमएस) में 3, 207, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (डेंटल) में 262 और, अंडर-ग्रेजुएट प्रोग्राम में 251 छात्रों का नुक़सान हुआ है।

मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने कहा, ऑल इंडिया कोटा में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति को ही आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के साल 2007 के आदेश के आधार पर बनाए गए थे। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव नहीं करता है ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने मेडिकल काउंसिल की दलीलों के खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये कोई संवैधानिक या कानूनी रुकावट नहीं है जिस वजह से ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण रोका जाए। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को पांच सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर ओबीसी आरक्षण ऑल इंडिया कोटा में कैसे लागू करना है इसे तय करने को कहा था। ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी जी करुणानिधि ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कमेटी तो बनाई पर उसके सुझाव का क्या हुआ? ये केन्द्र की सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को मिले। यही कारण है कि लगातार ओबीसी लोगों के हक की सीटों पर भी सामान्य वर्ग को जगह दिया जा रहा है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी, अनुसूचित जाति को 15 फीसदी और अनुसूचित जनजाति को 7.5 फीसदी आरक्षण मिलता है।

नीट परीक्षा के साल 2021 के नोटिफ़िकेशन में केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर अपना रुख़ साफ़ करते हुए कहा है कि पांच सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी गई है और इसे सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का फ़ैसला लिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2015 के एक दूसरे मामले में सुनवाई चल रही है। ये मामला सलोनी कुमारी बनाम केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का है। जिसमें ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण न मिलने को लेकर ही सवाल उठाया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस वजह से ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण पर कोई निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक सलोनी कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना आ जाए।तो फिर उस कमेटी का क्या हुआ हूज़र जो आपने गठित की थी जिसकी रिपोर्ट कहती है कि ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

केंद्र की सरकार कहती है कि नीट परीक्षा में ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण ख़त्म किया गया है यह सही नहीं है। ये पूरा विवाद सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से जुड़ा हुआ है। और ये विवाद इसलिए है क्योंकि इससे जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और केंद्र सरकार को कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार है। तो हूज़र हमारे देश में कानूनी पचड़े को कौन नहीं जानता कि तारिख तो मिल जाती है माईलॉर्ड लेकिन न्याय नहीं मिलता और जब तक तारिख पर तारिख का खेल चलेगी तब तक ओबीसी के छात्रों की डॉक्टर बनने के सपने दम तोड़ते रहेंगे।

क्या इसी का इंतजार था -

लेकिन वो तो भला हो उत्तर प्रदेश चुनाव का जो केन्द्र की सरकार को फैसला करने पर विवश किया। ये सब जानते हैं कि जो रायसीना हिल का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। और यहीं वजह है कि आनन फानन में बढ़ते विवाद को दिल पर पत्थर रखकर सरकार ने जोर शोर से ढ़िंढ़ोरा पीटा कि ओबीसी वर्ग को 27 फीसद आरक्षण मोदी की सरकार ने दिया। सवाल उठता है कि फिर वो कौन थे जो 2017 में आरक्षण छीना था और

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नीट में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू का श्रेय लेते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया और इसे सपा के सामाजिक न्याय के संघर्ष की जीत बताया।

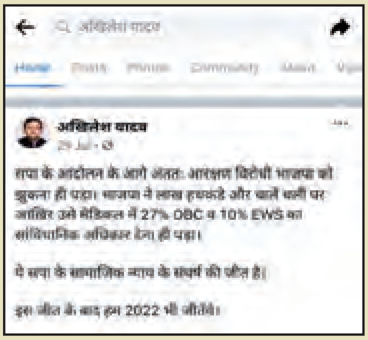

अखिलेश यादव की इस पोर्स्ट पर फेसबुक यूजर्स ने जम कर खिल्लियाँ उड़ाई।

लगभग 11 हज़ार से ज़्यादा ओबीसी समुदाय से आने वाले छात्रों को नुक़सान हो चूका है और उनके सपने मिट्टी में मिल गए।

बहरहाल केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार अब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के तहत देश के सरकारी मेडिकल कालेजों में आल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी वर्ग के 27 फीसद और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10 फीसद छात्रों को आरक्षण मिलेगा। अभी तक ओबीसी वर्ग को 27 फीसद आरक्षण सिर्फ राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पर ही मिलता था। ■

डॉ. नरेश साहू
@ +91 99211 10844

नीट मुद्दे पर दिलीप सी मंडल द्वारा चलाया गया सोशल मीडिया अभियान

नीट मेडिकल इंट्रेंस एक्जामिनेशन के आल इंडिया कोटा में ओबीसी को एक मुकदमे का सन्दर्भ ले आरक्षण देना बंद कर दिया गया था जिससे प्रत्येक वर्ष लगभग 4000 ओबीसी छात्रों का नुकसान हो रहा था। जाने-माने चिंतक और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सी मंडल ने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया।

उनके बारे में बारे में चंद्र भूषण सिंह की टिप्पणी महत्वपूर्ण है देश के प्रख्यात बहुजन पत्रकार व बुद्धिजीवी दिलीप सी मंडलमुद्दे को कब्र से निकालकर सोशल प्लेटफार्म पर ने पूरी मजबूती के साथ रखा जिसका परिणाम रहा कि देश भर के सामाजिक न्याय समर्थक बुद्धिजीवी, सोशल ऐक्टिविस्ट, पत्रकार, लेखक, छात्र, राजनीतिज्ञ आदि उबल पड़े और नीट के आल इंडिया कोटा में ओबीसी के आरक्षण को बहाल करने की मुहिम चल पड़ी। उनके सोशल मीडिया पर चलाये गये अभियान को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ▪

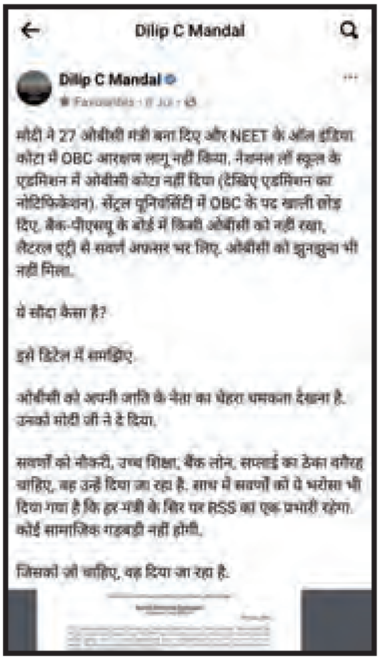

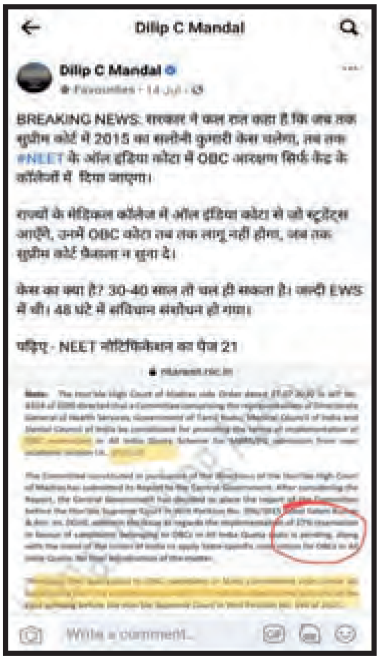

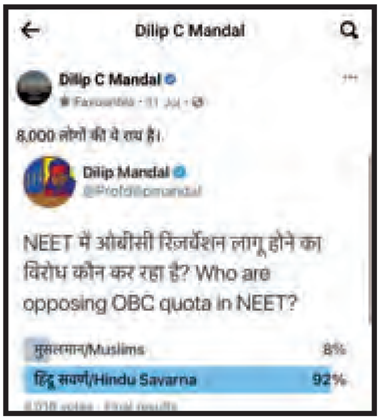

27 ओबीसी मंत्रियों के बहानें
यूपी पर नजर

पंकज चौधरी
राज्यमंत्री

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल
राज्यमंत्री

डॉ. एसपी सिंह बघेल
राज्यमंत्री

भानु प्रताप सिंह वर्मा
राज्यमंत्री

कौशल किशोर
राज्यमंत्री

बीएल वर्मा
राज्यमंत्री

मोदी मंत्रिमंडल में ओबीसी और दलितों के नए चेहरे

2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनावों को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश से एक सवर्ण और 6 ओबीसी और दलित मंत्री बनाये गए। जिन्हें मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके और जातीय समीकरण को साधा जा सके।

पंकज चौधरी- छह बार लोकसभा चुनाव जीत चुके पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद हैं। कुर्मी जाति से आते हैं। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में कुर्मी जाति के बड़े नेताओं में माने जाते हैं।

अनुप्रिया पटेल- उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सीट से सांसद और अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2014 में केन्द्रीय कैबिनेट में स्वास्थ और परिवार कल्याण राज्य मंत्री रह चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल, कुर्मी जाति से हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस और प्रतापगढ़ के कुर्मियों में अच्छी पैठ है।

एसपी सिंह बघेल- सत्यपाल सिंह बघेल आगरा से सांसद हैं। चार बार लोक सभा और एक बार राज्य सभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। योगी सरकार में मंत्री रह चुके थे। इन्होने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी के साथ की थी। एसपी सिंह बघेल गड़ेरिया से है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गड़ेरिया जाति में गहरी पैठ वाला नेता माना जाता है।

भानु प्रताप वर्मा- जालौन की गरौठा भोगनीपुर संसदीय सीट से सांसद हैं। भानु प्रताप वर्मा कोरी जाति से ताल्लुख रखते हैं और इनका अपने समाज मे अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है।

कौशल किशोर- कौशल किशोर उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद हैं। अपने 30 सालों के राजनीतिक करियर में कौशल किशोर दो बार लोकसभा सांसद रहे हैं और वह साल 2003-04 में मुलायम सिंह की सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। कोरोना संकट के दौरान प्रबंधन ठीक न होने के कारण योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सरकारी अस्पतालों में कुप्रबंधन पर सवाल खड़े किए थे। अप्रैल में कोरोना कुप्रबंधन की वजह से इनके भाई की मृत्यु हो गयी थी। कौशल किशोर पासी जाति से आते हैं। मोहनलालगंज क्षेत्र में पासियों में गहरी पैठ वाला नेता माना जाता है।

बीएल वर्मा - बनवारी लाल वर्मा बदायूं से राज्यसभा सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के करीबी माने जाते हैं। बीएल वर्मा लोध जाति से हैं, कल्याण सिंह के विकल्प के तौर पर लाया जा रहा है।

मै भी पिछड़ा हूँ कह के सरकार में आने वाले नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने मंत्रीमंडल विस्तार के दौरान 27 ओबीसी मंत्री बनाने का खूब ढिढोरा पीटा, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही टीवी चैनलों पर खूब फ्लैश आ रहे थे कि 27 ओबीसी मंत्री। अनुसूचित जाति के इतने मंत्री। अनुसूचित जनजाति के इतने मंत्री। तो अब यह गणना करने का शायद जातीय जनगणना का दबाव है की हवा को कम करने या उप्र का प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रख कर था।

यह अलग बात है कि इन 27 मंत्रियों में कई ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। उनका प्रतिनिधित्व किस तरह से है यह स्पष्ट नही है और इस बात को लेकर सांसद में भी जो हो हंगामे हुए उस बात को लेकर सरकार (प्रधानमंत्री) द्वारा यह कहा गया कि शायद जो इस सामाजिक न्याय के द्वारा मंत्री बन गये हैं वह विपक्ष को मंजूर नही है। इस तरीके से 27 किया जा रहा है तो अब जरुरत इस बात कि है अब जितने मंत्रिमंडल हैं उन मंत्रिमंडल में भरी भरकम मंत्रालय भी ओबीसी मंत्रियों के पास है मंत्री बनाते ही धर्मेंद्र प्रधान ने यह घोषणा की कि नीट में आरक्षण नही

एक तरफ तो संसद में पिछड़े मंत्रियों के बारे में बहुत उत्सुक थे, जिन्हें विपक्ष नही पसंद कर रहा था। उसी संसद में दलितों और पिछड़ों की भागीदारी के एक प्रश्न के लिए केन्द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिया गया जबाब, जिसे आप स्वंय देख सकते हैं -

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 2295
TO BE ANSWERED ON 02/08/2021

Reserved Posts for SCs/STs/OBCs in Central Universities/Research Institutions

2295. SHRI M. SELVARAJ:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) the total number of sanctioned posts for Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and other Backward Classes (OBCs) in all Central Universities and research institutions;

(b) the total number of vacant reserved posts for SCs, STs and OBCs in the same;

(c) whether these reserved posts are lying vacant for quite a time;

(d) if so, the details thereof indicating the time period the posts have been remained vacant and the reasons therefor; and

(e) the appropriate steps taken or proposed to be taken by the Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF EDUCATION

(SHRI DHARMENDRA PRADHAN)

(a) to (e): The details of the total number of sanctioned and vacant reserved posts for Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Other Backward Classes (OBCs) in all Central Universities and research institutions under purview of Ministry of Education are as under:

Name of Institution	Total Number of Sanctioned Reserved Posts			Total Number of Vacant Reserved Posts		
	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC
45 Central Universities (as on 01.04.2021)	5737	3097	7815	2389	1199	4251
Indira Gandhi National Open University (IGNOU) (as on 31.12.2020)	380	180	346	157	88	231
Indian Institute of Science Education and Research (IISERs)	71	19	153	28	11	67
Indian Institute of Science (IISc)	168	84	303	34	46	272
Total	6356	3380	8617	2608	1344	4821

सामाजिक चिन्तक दिलीप मंडल का तो यह मानना है कि देश की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी, आईआई एम, एनआईएफटी, आईआईएससी आदि में 50 प्रतिशत या ज़्यादा स्टूडेंट्स एससी, एसटी, ओबीसीके हैं। लेकिन 88 प्रतिशत तक टीचर सवर्ण या शोषक जातियों से हैं। प्रोफेसर, डिपार्टमेंट हेड, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर पदों पर असंतुलन और भी ज़्यादा है। इसलिए ये संस्थान बहुजन स्टूडेंट्स की कत्लगाह बन गए हैं। बड़ी संख्या में उन्हें फेल किया जा रहा है। प्रैक्टिकल और वाइवा में कम नंबर दिए जा रहे हैं। कैरियर ख़राब किया जा रहा है। क्लासरूम और टीचर्स रूम का ये असंतुलन भारतीय शिक्षा जगत में हिंसा की सबसे बड़ी वजह है और इसे ठीक न किया गया तो कालांतर में ये प्रतिहिंसा की वजह बन सकती है। इस प्रश्न को संविधान और कानून के दायरे में तत्काल हल किए जाने की ज़रूरत है।

राहुल यादव 'क्रांति'
नेता एंव सामाजिक कार्यकर्ता

एक समय में भारत के कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री यादव हुआ करते थे। भारत की कैबिनेट में कितनी संख्या है यादवों की यह कहना बहुत मुस्किल है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में कोई यादव कैबिनेट मंत्री नही था लेकिन इस बार भूपेंद्र यादव को जगह देकर यादव चेहरा देने की कोशिश की गई, लेकिन जाति जनगणना न करायी जाए सांसद में इस सवाल का जबाब भी नित्यानंद राय (एक यादव मंत्री) से कहलवाया गया कि जाति जनगणना न कराई जाए, बिलकुल उसी प्रकार जिस प्रकार से धर्मेन्द्र प्रधान से यह कहलवाया गया कि नीट में आरक्षण नही होगा।

दिनेश यादव
पूर्व उपाध्यक्ष, टी.डी.कॉलेज, बलिया

मंत्रिमंडल विस्तार का बहुत ज्यादा प्रचार किया गया। पहले इसकी जानकारी गोपनीय हुआ करती थी लेकिन जब इस मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी दी जा रही है। समाज में जिस प्रकार से सन्देश जा रहा है जब सरकार यह बता ही रही है कि मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की भागीदारी कितनी है तो क्या वह यह बताएगी की न्यायपालिका में कितनी भागीदारी है? क्या सरकार यह बताएगी की विश्वविद्यालयों में ओबीसी के कितने प्रोफेसर हैं?

संभव है। लेकिन लोगों का दबाव ज्वालामुखी की तरह अन्दर ही अंदर दहकता रहा पिछड़ों की आवाज जिसको कोई दिशा नही मिल रही थी शायद सरकार ने उसे भाप लिया नीट को लागु करने के लिए सरकार ने बड़े मंत्रियों को जगह दी जिसमे बड़े चेहरों में भूपेंद्र यादव, धर्मेन्द्र प्रधान, अनुप्रिया पटेल का नाम शामिल किया।

आज की तारीख में किसी भी विभाग का सचिव या सचिव स्तर के कर्मचारी पिछड़े कितनें हैं, इसकी जानकारी नही दी जा रही है? वाइसचांसलर कितनें हैं इसकी जानकारी नही दी जा रही है? प्रोफेसर कितनें हैं इसकी जानकारी नही दी जा रही है? यदि कक्षा में केवल दलित और ओबीसी होंगे और शिक्षक कक्ष में केवल सवर्ण होंगे तो तो ये शैक्षणिक संस्थान संस्थागत कत्लगाह बनाने जा रहे हैं। इस संस्थागत कत्लगाह के बारे में इस इस ओबीसी मंत्रिमंडल को चिंता करनी चाहिए प्रोफेसर द्रोणाचार्य की भूमिका में होंगे, इसका उपाय क्या है होगा? रैगिंग को रोकने का तो उपाय हैं क्योंकि यह सामान्य समस्या है लेकिन इसका क्या होगा नतीजा रोहित बेमुला और डॉ. पायल ताड़वी होगा। इसको रोकने का इंतजाम करना पड़ेगा वरना टीचर्स रूम और क्लास रूम की लड़ाई एक दिन कश्मीर युनिवर्सिटी जैसी हो जाएगी, जहाँ सारे प्रोफेसर कश्मीरी ब्राह्मण और छात्र सारे कश्मीरी मुसलमान अंततः खून खच्चर हुआ। ■

नरेंद्र प्रताप
@ +91 9453171770

विभिन्न राज्यों ओबीसी आरक्षण की स्थिति

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड राज्य में पिछड़ों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण करने की मांग लंबे समय से चल रही है। उत्तर पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश में मंडल आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह ने पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनने पर पिछड़ों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया लेकिन 50 प्रतिशत सीमा के कारण और पिछड़ों की गणना ना होने को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। मध्यप्रदेश में भी कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही पिछड़ों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की घोषणा की लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। शिवराज सिंह चौहान भी कई बार 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की बात कह चुके हैं लेकिन अभी कर नहीं पाए।

आन्ध्रप्रदेश	27 प्रतिशत
असम	27 प्रतिशत
छत्तीसगढ़	14 प्रतिशत
दिल्ली	27 प्रतिशत
उत्तरप्रदेश	27 प्रतिशत
झारखण्ड	14 प्रतिशत
राजस्थान	21 प्रतिशत
गुजरात	21 प्रतिशत

तमिलनाडू	50 प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	17 प्रतिशत
तेलंगाना	29 प्रतिशत
पंजाब	10 प्रतिशत
हरियाणा	37 प्रतिशत
केरल	30 प्रतिशत
मध्यप्रदेश	14 प्रतिशत

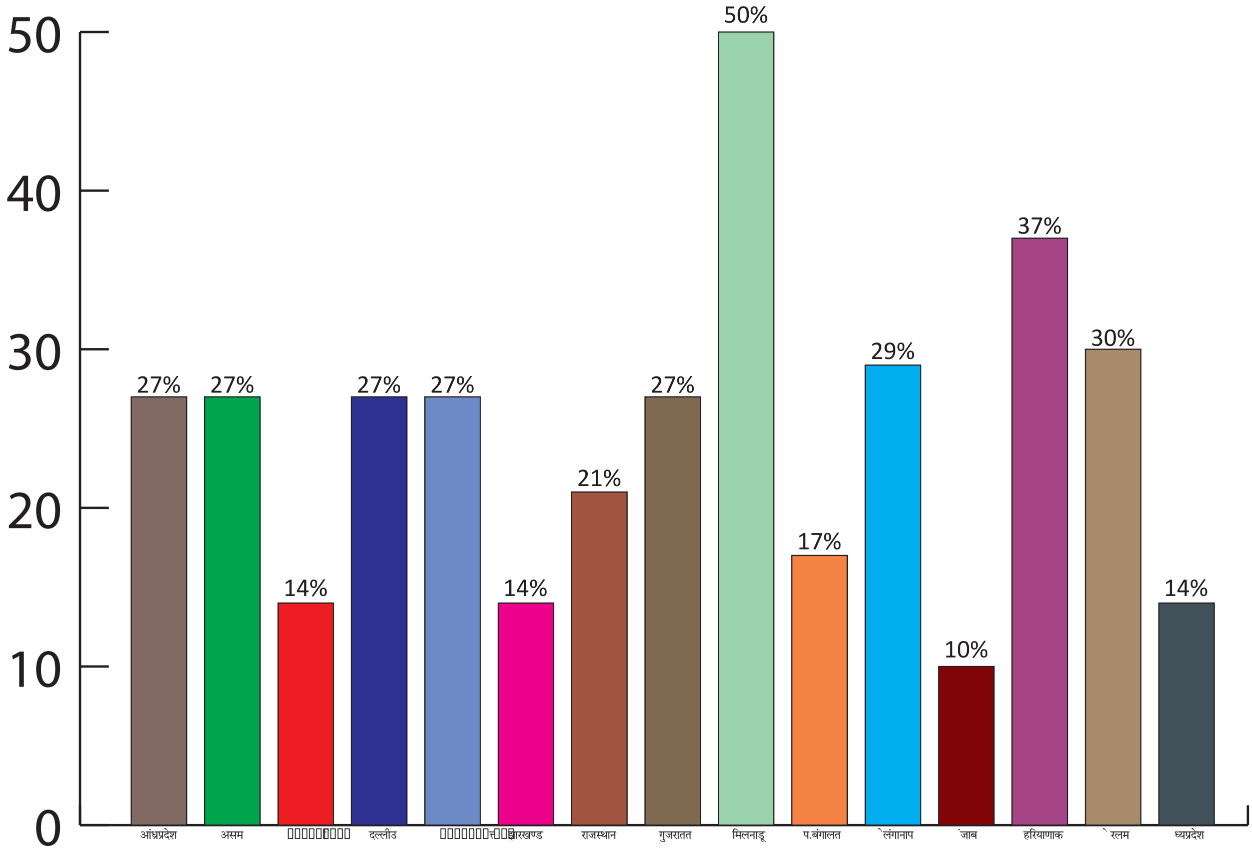

जातीय जनगणना रिपोर्ट

भक्तापुर ग्रामसभा, संत रविदास नगर भदोही

बसावन इंडिया के प्रवेशांक में आजमगढ़ जिले के भरमा-डढ़िया ग्राम सभा की जातीय जनगणना का प्रकाशन किया था। जातीय जनगणना के लिए हम गांव की नवीनतम निर्वाचन सूची को आधार बनाते है, उसी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा जातियों को चिन्हित कर जातिवार आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। यदि आप अपने गांव की जनगणना रिपोर्ट का प्रकाशन चाहते हैं तो नवीनतम मतदाता सूची को आधार बनाकर बसावन इण्डिया को मेल कीजिए। बसावन इण्डिया की संपादकीय टीम यदि आपके गांव की रिपोर्ट का चयन करती है तो सिटिजन जर्नलिस्ट के रूप में आपको क्रेडिट देते हुए आपके फोटो के साथ आपका नाम मैगजीन में प्रकशित किया जाएगा। जातीय जनगणना की इस कड़ी में बसावन इंडिया की संपादकीय टीम ने भक्तापुर गांव का चयन किया है। जिसकी रिपोर्ट भक्तापुर गांव के कारन सोनकर ने तैयार की है।

भक्तापुर ग्रामसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 1082 है।जिसमे खटीक, चमार, ब्राह्मण, अहीर, कोहर, जायसवाल, पासी, गोसाई, कोइरी और भूज (गोंड) जाति के लोग रहते हैं।

भक्तापुर एक दलित बाहुल्य गाँव है। जिनमे अनुसूचित जातियों में खटीक, चमार और पासी है। अनुसूचित जाति के कुल मतदाताओं की संख्या 681 है, जो कुल मतदाताओं की संख्या का लगभग 63 फीसदी है। गांव में खटिकों की संख्या सबसे अधिक है। खटीक मतदाताओं की संख्या 387, चमार मतदाताओं की संख्या 276 और पासी मतदाताओं की संख्या 18 है।

गांव में सवर्ण जाति एकमात्र ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण जाति के कुल मतदाताओं की कुल संख्या 216 है जो कुल मतदाताओं का 19.96 फीसदी है।

अन्य पिछड़ी जातियों में अहीर, कोहार, कलवार (जायसवाल), गोसाईं (गिरी) और कोइरी शामिल हैं।ग्रामसभा में कुल ओबीसी मतदाताओं की संख्या 178 है जो ग्राम सभा के कुल मतदाताओं का 16.45 फीसदी है।

ओबीसी मतदाओं की संख्यावार अहीरों की संख्या सबसे अधिक 83 है। इसके बाद कोंहार हैं जिनकी संख्या 48 है। कलवारों की संख्या 24 है, गोसाई मतदाताओं की संख्या 15 और कोइरी मतदाताओं की संख्या 8 है।

ग्रामसभा में अनुसूचित जाति के सिर्फ भूज (गोंड) मतदाता रहते है जिनकी संख्या 7 है, जो कुल मतदाताओं का 0.65 फीसदी हैं।

भ क्त ा प ु र गावंमुसलमान या अन्य कोई जाति नही रहती है। ▪

करन सोनकर
@ +91 99211 10844

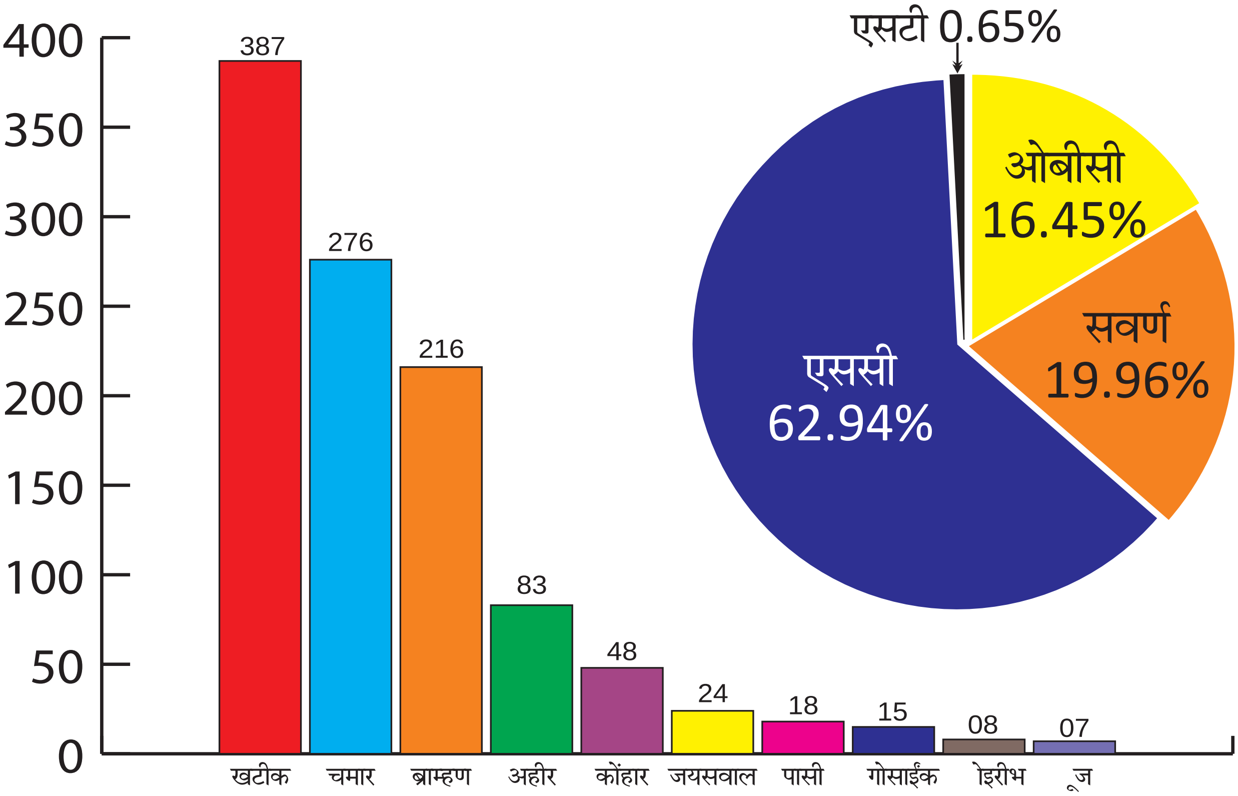

मतदाता सूची 2021 के अनुसार ग्रामसभा भक्तापुर संत रविदास नगर भदोंही के जातिवार आँकड़े

आरक्षण : मेरिट और मंडल

समानता समान लोगो के बीच होती है, असमान लोगो को समान लोगो के साथ रखना, असमनाता को स्थिरता प्रदान करता है। जिस समानता के अधिकार का विरोधी लोग आरक्षण को मानते हैं वह केवल औपचारिक समानता की बात करते हैं जबकि वह यह बात भूल जाते हैं कि समानता का दूसरा जो सबसे जरूर रूप है वह आवश्यक समानता।

आरक्षण की जब जब बात आती है तो यह दलील दी जाती है कि इससे योग्यता को कमजोर किया जाता है। लेकिन क्या यह सही है कि आरक्षण योग्यता को कमजोर करता है? इसके लिए हमें योग्यता और आरक्षण को व्यापक रूप में समझना होगा। वास्तव में योग्यता सम्बंधी धारणा से बढकर गरमा-गरमी और रोष उत्पन्न करने वाला अन्य कोई विषय नहीं रहा है। ओबीसी वर्ग को अन्य रियायते मंजूर कर देने में कर देने में कोई आपत्ति नही है, किंतु ओबीसी के लोगो के लिए शैक्षणिक संस्थाओ और सरकारी सेवाओ में कोटा निर्धारित कर देने से तीखी प्रतिक्रिया को बढावा मिला है।

यहाँ थोडा सा समझ लेते हैं कि - योग्यता आखिर क्या है? यहाँ इस पर थोडी बात कर लेना इसलिए जरूरी है क्योकि यह किताब तमाम उन लोगो के हाथ में जाएगी जिन्हे योग्यता का बहुत ही संकीर्ण मतलब पता होगा। कई जगहो से खोजने से बाद जहाँ तक मै समझ पाया कि योग्यता वंशानुगत ही नही होती है, बल्कि यह अपने आस पास के वातावरण पर निर्भर करता है।

सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक महौल और जन्म से मिले गुणो का मिलाजुला रूप होता है। योग्यता को ताबीज नही हैं जिसे पहना भर देने से कोई योग्य हो जाता है। एक जुडवा बच्चो के ऊपर हुए प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि दोनो बच्चो को अलग अलग वातावरण में पालने से उनके ढ्क्त्(एक तरह की दिमागी क्षमता मापन) में अंतर देखने को मिला। फिर कुछ दिन बाद जब उनका वातावरण एक जैसा कर दिया गया तो दोनो के आईक्यू स्तर में समानता देखने को मिलने लगी। एक वेबसाइट parenting.firstcry.com के अनुसार योग्यता को बढाने में वातावरण का बहुत बडा योगदान होता है।

इसके लिए प्रकृति और पालन पोषण का बहुत बडा हाथ होता है जिससे किसी व्यक्ति की योग्यता प्रभावित होती है। पालन पोषण का ही एक हिस्सा खान-पान, पारिवारिक वातावरण, आस-पास का माहौल, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, और आर्थिक स्थिति आदि होता है।यहाँ पर योग्यता पर प्रभाव डालने वाले 10 मुख्य तत्त्व बताए गए हैं- 1. वंशानुगतता, 2.वातावरण, 3.लिंग, 4.शारीरिक कार्यकलाप और स्वास्थ्य, 5.होर्मोस, 6.आहार, 7.पारिवारिक स्थिति, 8.भौतिक स्थिति, 9.सामाजिक आर्थिक स्थिति, 10. शिक्षा और अतिरिक्त कार्यकलाप।

हम ऊपर बताए गए 10 मानक देखे तो पाएंगे कि इसमे से अधिकतर इंसान को दुनिया में आने के बाद मिलती है। इसका मतलब है कि एक बच्चा कैसा होगा वह यह संसार ज्यादा तय करता है ना कि उसके वंशानुगत मिले गुण। यहाँ मण्डल साहब एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं जो मै ठीक उसी रूप आप सब के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ- वह दो लडके मोहन और लल्लू को उदाहरण के रूप में लेते हैं। पहले मोहन की स्थिति की बारे में बताते हैं-

मोहन एक अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है और उसके माता-पिता काफी पढ़े-लिखे हैं। यहाँ आप प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को समझिए। वह शहर के अच्छे पब्लिक स्कूलो में से एक में पढने जाता है जिनमें व्यापक पाठ्येत्तर कार्यक्रम उपलब्ध हैं। घर में, उसके पास अपना अलग एक कमरा है और दोनो माता-पिता उसकी पढाई में सहायता करते हैं। घर में एक टेलिविजन और एक रेडियो सेट है और उसके पिता कई पत्र पत्रिकाए भी मंगाते हैं। अपने अध्ययन के मामले में और अंततः अपना कैरियर बनाने में उसे अपने माता-पिता और अपने अध्यापको का लगातार मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उसके अधिकांश मित्रो की भी इसी तरह की आर्थिक स्थिति है और उसे विशाल प्रतियोगी दुनिया के बारे में भली भांति जानकारी है, जिसमे उसे स्वयँ के लिए एक उचित स्थान बनाना है। उसके कुछ रिश्तेदार प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ठीक समय पर वह सही सिफारिश या दवाव प्राप्त कर सकता है।

दूसरी तरफ, लल्लू एक ग्रामीण लडका है और उसके पिछडा वर्ग के माता-पिता की सामाजिक स्थिति ग्राम की जाति व्यवस्था में निम्न प्रकार की है। उसके माता पिता के पास चार एकड कृषि योग्य भूमि है। हालांकि यह बहुत ज्यादा है, भारत में ओबीसी के अधिकांश किसान सीमांत है जिनके पास एक एकड या उससे कम भूमि है। औसत के तौर पर चार एकड बहुत ज्यादा है। उसके माता-पिता अनपढ़ है और आठ प्राणियो में उनका परिवार दो कमरो में की झोपड़ी में सिमट कर रहता है। जबकि प्राइमरी स्कूल उसके गांव में स्थित है किंतु अपने हाई स्कूल शिक्षा के लिए उसे दोनो तरफ लगभग तीन किलोमीटर का फासला पैदल चलकर तय करना पडता है।

हालांकि आज सभी बच्चों के पार

सुशील टाकभौर को मिला बीपी मंडल पुरस्कार

प्रख्यात लेखिका सुशील टाकभौर के नाम की घोषणा बीपी मंडल पुरस्कार के लिए की गयी है। यह पुरस्कार राजभाषा परिषद, बिहार द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 2,00,000 रुपए है। सुशील टाकभौर महाराष्ट्र से हैं। नागपुर में हिंदी साहित्य की प्राध्यापिका रही हूँ। दलित साहित्य और चिंतन उनके लेखन का केंद्र बिन्दु है। उनकी आत्मकथा 'शिकंजे का दर्द' चर्चित पुस्तक है।

साइकिल होती है, लेकिन इसी अनुपात में आज मोहन जैसे बच्चो के पास बाइक होती है। कहने का मतलब यह है आनुपातिक स्थिति वही है जो पहले थी। उच्च शिक्षा को पाने के लिए उसे उसके चाचा के पास तहसील मुख्यालय भेजने के लिए उसने अपने माता-पिता को राजी कर लिया था। उसे अपना पाठ्यक्रम चुनने या कैरियर चुनने के बारे में कभी कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। उसके अधिकांश मित्र मिडिल स्कूल शिक्षा से आगे नही पढ़े थे। उसका भी सांस्कृतिक वातावरण से परिचय नहीं हुआ था और उसने अपनी कालेज की शिक्षा बिना किसी प्रोत्साहन के पूरी की थी। ग्रामीण पृष्ठिभूमि के कारण वह एक गवारू सा दिखाई देता है। अपनी कॉलेज की शिक्षा के बावजूद उसका उच्चारण बहुत ही अच्छा नहीं था, उसका व्यवहार भद्दा है और उसमें आत्मविश्वास की कमी है।

यह मानते हुए कि मोहन और लल्लू में अपने जन्म के समय समान प्रतिभा थी फिर भी यह स्पष्ट है कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और वातावरण संबंधी तत्वों में काफी बडा अंतर था, जिसके कारण पहला व्यक्ति दूसरे को किसी भी प्रतियोगिता में बहुत पीछे छोड देगा। चाहे लल्लू की बुध्दिमत्ता मोहन की तुलना में बहुत अधिक थी, फिर भी येसी संभावनाएँ हैं कि मोहन किसी येसी प्रतियोगिता में दूसरे से बहुत पीछे रह जाएगा जहाँ चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। इसके बात मण्डल साहब कहते हैं कि हम मान दोनो किसी अखिल भारतीय सेवा में बैठते हैं और मोहन लल्लू से 50 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त कर ले। क्या इसका यह अर्थ है कि मोहन की योग्यता लल्लू से 50 प्रतिशत अधिक है, या कि वह उस ग्रामीण लडके से 50 प्रतिशत अधिक कुशल होगा। क्या यह संभव है कि उनको अपनी अपनी जन्मजात बुध्दिमत्ता को ध्यान में रखते हुए यदि उनके स्थान आपस में बदल दिए जाए तो वे कैसा कर पायेंगे।

यदि योग्यता में धैर्य, दृढता और मुसीबतो से लडने की क्षमता आदि शामिल है तो क्या मोहन और लल्लू द्वारा प्राप्त किए गए अंको को, पहले मोहन की उपलब्ध सुबिधाओ और दूसरे लल्लू द्वारा भोगी गई बाधाओ को दृष्टि में रखते हुए उनका समुचित रूप से समायोजन नहीं किया जाना चाहिए।

मेरिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश (1997) के मामले में कहा है कि (Merit and efficiency is invention of pure Aryan aimed to maintaining their monopoly) इसका मतलब यह है कि योग्यता और दक्षता, आर्यो द्वारा अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए इजात किया है। इसके बाद के. सी.बसंताकुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि (efficiency is very much on the lips of the privileged, whenever reservation is mentioned) इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी आरक्षण की बात आती है तो विशेषाधिकार (आरक्षण के विरोधी) प्राप्त लोगो के होठो पर दक्षता शब्द बहुत आ जाता है। आगे कोर्ट ने कहा कि Efficiency is not a mantra which is whispered by the guru in the shishyaÓs ear. It is cops the days of Dronacharya and Aklavya are over. इसका मतलब है कि दक्षता कोई मंत्र नहीं है, जिसे गुरु शिष्य के कान में फूंक देता है, द्रोणाचार्य और एकलव्य का समय समाप्त हो चुका है)।

कुछ लोग यह बताते हैं कि आरक्षण समानता के अधिकार का विरोधी है। लेकिन येसा नहीं है। मण्डल आयोग का आदर्श वाक्य यहाँ पर देखना चाहिए। जो कि इस प्रकार है समानता समान लोगो के बीच होती है, असमान लोगो को समान लोगो के साथ रखना, असमनाता को स्थिरता प्रदान करता है। जिस समानता के अधिकार का विरोधी लोग आरक्षण को मानते हैं वह केवल औपचारिक समानता की बात करते हैं जबकि वह यह बात भूल जाते हैं कि समानता का दूसरा जो सबसे जरूर रूप है वह आवश्यक समानता।

समानता का मतलब है कि जो समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, रूप से पिछडे लोग है उनको उचित व्यवस्था देकर समाज के दूसरे लोगो के बराबर लाना। यह भारत के संविधान के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। जिसे सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारो के बराबर मानती है।

सच्चाई तो यह है कि जिसे हम योग्यता कहते हैं, वह वास्तव में एक जन्मजात प्रतिभा और सामाजिक, सांसकृतिक वातावरण में प्राप्त सुविधा और भविष्य के लिए की बेहतर योजना का और क्रियांवयन का परिणाम है। योग्यता कोई कारक नहीं है, बल्कि कई कारको के मिल जाने से घटित होने से प्राप्त होने वाला रिजल्ट ह। समानता के पैमाने को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पहले जो मोहन और लल्लू के बीच जो असमानताए है उन्हे दूर करके उनको समानता के धरातल पर लाना है। बिना सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से एक समान किए उनको एक समान पैमाने पर परखना अनुचित होगा। किसी भी समाज की सामाजिक न्याय प्रियता और उस समाज का अपने पूरे समाज के प्रति नजरिया इस बात से पता चलता है कि वह समाज अपने समाज की बीच में व्याप्त सामाजिक, सांस्कृतिक असमानता की खाई को कितना कम कर पाया है। समाज जितनी ही कम असमानताए होती है उतनी ही स्वस्थ प्रतियोगिता होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से असमान लोगो के बीच में प्रतियोगिता का मतलब होता है कि इन सब में अगडे को परोक्ष रूप से लाभ पहुचाना। जब भी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे और अगडे लोगो को एक साथ प्रतियोगित में उतारा जाए तो पिछडे को विशेष सुविधा और छूट दी जाए ताकि उसके पिछडेपन की भरपाई की जा सके। सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए मनोवृत्ति रखने वाले समाज और सभ्य समाज की यही नैतिकता होती है। ■

अमोद कुमार
@ +91 9129602826

तेरहवीं : एक अमानवीय कुप्रथा

अगर आप संविधान में भरोसा और विश्वास करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 51A(J) के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में कहा गया है प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह अपने भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। संविधान की मूल भावना को के अनुसार काम करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने मृत्युभोज अधिनियम 1960 का कानून अपने यहाँ लागू कर दिया एवम् इसके पालन हेतु पटवारी और क्षेत्र के प्रधान को निर्देश दिया की उनके क्षेत्र में कही पर भी मृत्युभोज आयोजित होने पर पुलिस को तुरंत सूचना दें। मृत्युभोज का आयोजन करने वाले के साथ ही खाने वाला भी दण्ड का भागी होगा।

इतना पढ़ने लिखने के बाद भी व्यक्ति क्यों नहीं सोचता कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो वो परिवार सामाजिक एवम् आर्थिक दोनो रूपों में संकट में आ जाता है इसी स्थिति में समाज को आगे बढ़कर मृतक के परिवार की मदद करनी चाहिए न की तेरही या मृत्यु भोज के नाम पर उनका शोषण करना चाहिए। जरा सोचिए किसी परिवार के मुखिया की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में वो परिवार वैसे ही पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से संकट में आ जाता है ऊपर से सामाजिक दबाव में आकर उसे तेरहवीं जैसी कुप्रथा पर अपनी बचत या क़र्ज़ लेकर ख़र्च करना पड़ता है जिसके बाद वो परिवार आर्थिक रूप से तंगी में आ जाता है कुछ परिवार तो बर्बाद भी हो जाते हैं। सोचिए जिस पैसे को उसे आने वाली विपत्ति से निपटने, बच्चों को पढ़ाने लिखाने और उनकी शादी ब्याह में ख़र्च करना था उसे उन्हें तेरही जैसी कुप्रथा पर ख़र्च करना पड़ता है।

अम्बरी में श्रधांजलि सभा

आजमगढ़ जिले के अम्बरी क्षेत्र में बड़ी ही तेजी से तेरहवीं बहिष्कार किया जा रहा है। तेरहवीं के स्थान पर लोग अपने प्रियजनों की याद में शोक और श्रधांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। जहाँ एक ओर अम्बरी क्षेत्र के आंधीपुर गाँव में पूर्व सांसद राम किष्ण यादव की मृत्यु पर उनके परिजनों ने आडम्बरों से दूर हो कर शोक और श्रधांजलि सभा का आयोजन किया। वहीं दूसरी ओर अम्बरी खास में संध्या देवी की तेरहवीं की जगह शोक सभा का आयोजन किया। हालांकि तेरहवीं बहिष्कार शुरुआत में लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा लेकिन धीरे धीरे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग ने इसे स्वीकार कर लिया। आज क्षेत्र में जागरूक लोग तेरहवीं की जगह शोक और श्रधांजलि सभा ही कर रहे हैं।

तेरही की यह कविता भी अपने में बहुत कुछ समेटे हुए है-

मृत्युभोज कुप्रथा है,
जिसे कुछ लोगों ने
कमाने के लिए रचा है,
मरने के बाद कौन बचा है,
फिर मृत्युभोज कौन सी बला है।
जो मरने वालों के लिए बना है,
मृत्यु भोज में जब भी गया हूं,
आने-जाने वालों से
खाने पर ही मिला हूं,
लोग आ रहे थे,
खाने की प्लेट उठा रहे थे,
सब्जी, पनीर, मशरूम, मिठाई का
मजा उड़ा रहे थे,
मृत्यु भोज करने वाला
हाथ जोड़े खड़ा,
हर आने-जाने वाले से
पूछ रहा था,
खाना कैसा बना था,
न मरने वाले की याद थी,
न कोई संवेदना थी।
मृत्यु भोज खाने से पहले
समाज को सोचना चाहिए,
मृतक के परिवार को
सांत्वना और सहायता देना चाहिए,
न कि गिद्धों की तरह
उन्हें नोचना चाहिए,
समाज को आगे बढ़कर
मृत्युभोज जैसी कुप्रथा को रोकना चाहिए।

डॉ. लाल रत्नाकर
एसोसिएट प्रोफेसर

अब सोचने वाली बात ये है की आज विज्ञान दिन प्रति दिन तमाम रहस्यों से पर्दा हटाते हुए आगे बढ़ रहा है लेकिन हम बौद्धिक रूप से इतने अपंग हैं कि स्वर्ग और नर्क के आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में हम अपने पूर्वजों से भी आगे नहीं सोच पा रहे हैं जिन्होंने समाज में प्रचलित कुप्रथाओ को बंद करने के लिए तत्कालीन समाज से बिना डरे टकराये थे जबकि विज्ञान उसके समय में आज के जैसा विकसित नहीं हो पाया थालेकिन फिर भी उन्होंने कुप्रथाओं से होने वाली हानियों को समझा और समाज को इनके प्रति सचेत किया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी की इस वैज्ञानिक युग में भी हम जानवरों से भी गए गुज़रे हो चुके हैं। जब किसी जानवर का साथी मरता है तो वो भी अपने साथी के शोक में कुछ दिन खाना पीना छोड़ देता है। अगर आप ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो आपको तेरही के आयोजन का असली मक़सद का पता चल जायेगा और आपको ये भी समझ आ जायेगा की एक ख़ास वर्ग अपने फ़ायदे के लिए समाज को तेरही रूपी कुप्रथा करवाने के लिए ऊटपटाँग बातें बताकर समाज को भरमाता रहता है।

तेरहवीं या मृत्युभोज की शुरुआत कैसे, कहाँ और किसके द्वारा की गई शायद ही कोई इसका सही जवाब दे पाए। ख़ैर असली मुद्दा ये है की लोग आज भी इसे क्यों करते चले आ रहे हैं जबकि उन्हें अच्छे से पता है की ये आज एक सामाजिक बुराई से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग चीज़ों को धार्मिक दृष्टिकोण से ही देखने और समझने के आदी हो चुके हैं। इसलिए हम सबसे पहले तेरहवीं को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं। देश की अधिकांश आबादी अपने सोचने समझने का एक दायरा बनाकर रखा हुआ है जिसके बाहर न तो वे सोच पाते हैं न ही उसके आगे सोचने का प्रयास करते हैं। किसी भी बात का हल वे प्राचीन काल में लिखी धार्मिक पुस्तकों के अन्दर ही खोजते हैं जबकि वे अपने को आधुनिक सोच का व्यक्ति होने का दावा ठोकते रहते हैं। यदि हम धार्मिक ग्रंथो का अध्ययन करते है तो तेरहवीं कैसे शुरू हुई होगी इसके बहुत सारे प्रमाण आसानी से पा जाते हैं। करीब करीब दुनिया के सारे धर्म ग्रंथो में स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना देखने को मिल जायेगा।

हिन्दू धार्मिक ग्रंथो में स्पष्ट रूप से लिखा है की कोई भी इन्सान कुछ धार्मिक अनुष्ठान करके सशरीर भी स्वर्ग जा सकता है। हो सकता है स्वर्ग जाने की चाहत ने ही हमारे पूर्वजों को तेरहवीं करने के लिए प्रेरित किया हो। या ये भी हो सकता है कि कुछ धूर्तों ने लोगों को स्वर्ग का सपना दिखाकर भरमाया हो ताकि अपनी तिजोरी को बिना मेहनत किए भूँसे की तरह भर सकें, क्योंकि हिन्दू धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल सोलह संस्कार बताये गये हैं तो ये सत्रहवाँ संस्कार तेरहवीं कहाँ से आ गया जो कि इस पर सन्देह करने के लिए पर्याप्त है। काल्पनिक घटना ही सही लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्युभोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये बात तब की है जब विज्ञान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन आज मनुष्यों ने विज्ञान की मदद से आकाश को भेद कर सूर्य, चन्द्रमा, मंगल और शनि जैसे और बहुत से ग्रहों पर अपने झण्डे गाड़ दिए हैं। जहाँ पहुँचने के बारे में हमारे पूर्वज कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वहाँ पहुँचने पर वैज्ञानिको को न तो स्वर्ग मिला न ही नर्क।

मुझे लगता है अधिकांश लोगों को स्वर्ग और नर्क की सच्चाई बड़े अच्छे से पता है फिर भी वे तेरही करते हैं अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप तेरही क्यों करते है तो उनका सीधा सा रटा रटाया जवाब मिलेगा ये हमारी परम्परा है पूर्वजों की बनाई प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है अगर हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब ऐसे लोगों को कौन समझाये कि ऐसी ही बहुत सारी प्रथाएँ जो हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था कालांतर में वे ही हमारे लिए कुप्रथाएँ बन गई।

तेरही या मृत्युभोज की हालत ठीक वैसे ही है जैसे कुछ समय पहले तक सती प्रथा, बहु

शूद्र लाल प्रताप यादव
समाजिक कार्यकता

तेरहवीं हमारे समाज की बहुत बडी कुप्रथा है, जिसके घर में मृत्यु हुई हो उससे हम अपेक्षा रखते है कि वो पुड़ी, खीर और मिठाई का बंदोबस्त करे, चाहे वह आर्थिक रूप से सक्षम हो या अक्षम। सक्षम तो एक बार चल जाता है लेकिन अक्षम अपना घर, खेत, जमीन, गहने को गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे लेकर समाज को देखावे के लिए मृत्युभोज करने के लिए मजबूर होते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ समाज को शोषक बनाने का धंधा है। यह कुप्रथा जितनी जल्दी हो सके बंद होना चाहिए, राजस्थान सरकार ने इसे बंद कर दिया है पुरे देश में यह बंद होनी चाहिए इसके लिए संगठित प्रयास किया जा रहा है पुरे प्रदेश में जहाँ कही भी कोई नौजवान कोई व्यक्ति तेरहवीं न करने का की बात करता है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़े होते हैं और उसकेशोक सभा के सारे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पुरे समाज से उसको अभिबल दिया जाता है। यदि सबसे बड़ा पाखंड है तो यादव समाज में है सबसे बडी नगरी पाखंड की काशी है जहाँ एक युवक ने तेरहवीं का बहिष्कार किया और बहुत बडी शोक सभा किया। लोगों ने उसे खूब सराहा। अब धीरे-धीरे हर जगह तेरहवीं का बहिष्कार होने लगा है लोग अज्ञानतावश करते थे। लोग बहुत तेजी से इससे विमुख हो रहे हैं।

डॉ. जी एन सिंह शक्या

प्रवक्ता समाजशात्र

मेरा आज तक का व्यक्ति गत अनुभव रहा है जब भी मै तेरहवीं में गया हूँ मुझे एहसास ही नहीं हुआ की वहाँ किसी की मृत्यु हुई है ऐसा लगता है तेरही नहीं मानो कोई पार्टी चल रही है सारे लोग उसका आनंद उठा रहे हों , लोगों का ध्यान खाने पीने की चीज़ों पर लगा रहता है और वे मज़े ले लेकर भोजन का लुत्फ़ उठाने में मशगूल रहते हैं। मृत्युभोज करवाने वाला भी घूम घूमकर अपनी बड़ाई सुनने के लिए बेताब हुए लोगों से पूछता रहता है खाने में कोई कमी तो नहीं रह गई, खीर, पनीर, मशरूम और सजावट कैसी हुई है।

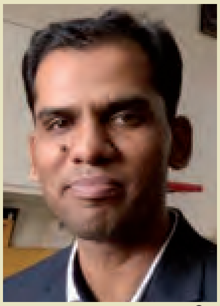

डॉ. कालूलाल कुलमी

राजस्थान में मृत्युभोज प्रतिबंधित

मरने के बाद काज करना और गंगा में हड्डीय डाल कर मुक्ति की कामना करना ये भारत के शास्त्र ज्ञान के अनुसार होता रहा हैं और हो रहा हैं। हिन्दी में प्रेमचंद ने 1936 में गोदान लिखकर इस मिथ को खारिज कर दिया कि गोदान से मुक्ति नहीं हैं, मुक्ति हैं हर इंसान को बराबर का दर्जा देने में, उसको जिंदगी में वो सब देने में जिसका वो हकदार हैं। मृत्युभोज वो भोजन जो किसी की मौत के बाद किया जाता हैं और बाकी वो सभी कारज जो उस जीव को स्वर्ग में ले जाए और फिर वो स्वर्ग का राजा। इन सब के पीछे हैं कि इनका कोई तर्क नहीं हैं। हम इसलिए कर रहे क्योंकि पहले से चल रहा हैं। हम सवाल नहीं करते क्यों? कि हम अपने को अलग नहीं उस भीड़ का हिस्सा ही मानते हैं। भारत का वो समाज जो ज्ञान से वंचित रहा वो आज भी अपनी अज्ञानता का ये बोज ढो रहा हैं और अपने और अपने लोगों के साथ ये नाइंसाफी कर ही रहा हैं। जो लोग पढ़-लिख गए और जो अपने समाज के साथ सही दिशा में गए वो तो इन सब को छोड़ कर आगे निकल गए लेकिन जो नहीं निकले वो आज भी इनके गुलाम हैं।

राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज को 1960 में बंद कर दिया था। मृत्यु भोज निषेध कानून 1960 जिसमे गंगा प्रसादी धार्मिक रूप से किसी भी पंडो पुजारियों के लिए धार्मिक संस्कार और परंपरा के नाम पर किसी प्रकार के मृत्युभोज का आयोजन करना कानूनन अपराध है।

राजस्थान अपनी संरचना में एक सामंती राज्य था इसमें कोई शक नहीं। रजवाड़े सीधा शासन करते रहे इस कारण कोई भी नया विचार सामान्य जीवन में कोई बदलाव नहीं कर पाया। फिर भारतीय समाज बड़ा ही ईश्वर और आस्था से भरा पड़ा हैं। इनके लिए मंदिर जाना काम पर जाने से बड़ा काम हैं। इनको तर्क नहीं आस्था में ही आस्था हैं। ऐसे में जिनके लिए ये आस्था रोजगार दे रही उनके चेहरे पर तो लाली रहती हैं लेकिन जिनके लिए केवल आस्था हैं वो आज भी मंदिर के द्वार पर खड़े हैं।

अगर कोरोना जीवन को और जीवन की रीति नीति को बदल सकता हैं तो नया विचार तो हर बार अपने उफान के साथ आता हैं। वो क्यों नहीं परिवर्तन कर सकता हैं। ऐसा नहीं हैं कि कुछ नहीं बदला बहुत कुछ बदला भी हैं और ये चलता रहेगा। डॉ. अंबेडकर ने कहा था न हमने कानूनी अधिकार तो ले लिए लेकिन, जब तक इसको सामाजिक जीवन में लागू नहीं किया जाता तब तक इनका कोई अर्थ नहीं हैं। मैंने कई पंचो से पूछा कि क्या जरूरत हैं मरने के बाद सब करने कि तो बोले जरूरी हैं।

धारा 5 में लिखा है की स्थानीय जनप्रतिनिधि (पंच, सरपंच) एवं पटवारी, लम्बरदार, ग्राम सेवक का दायित्व बनता है जैसे ही उनको मृत्युभोज के बारे में जानकारी प्रदान होती है तो वो तुरंत न्यायिक मजिस्ट्रेड के पास प्रार्थना पत्र लेकर रुकवा सकते है।

धारा 6 में लिखा है यदि कोई व्यक्ति धारा 5 की बातों को नहीं मनाता है। तो उसे 1 वर्ष का कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माना

धारा 7 में लिखा गया है की यदि पंच सरपंच पटवारी या ग्रामसेवक इसके बारे में बताते है तो उन्हें भी सजा का प्रावधान है। इसमें तीन माह तक की सजा हो सकता है।

धारा 8 में लिखा है यदि कोई व्यक्ति सेठ, माहंजन साहूकार या दूकानदार कोई हो मृत्युभोज के लिए रूपया या सामान उधार देता है तो उन्हें उस रूपए को वसूलने का अधिकार नहीं होगा। और उसके द्वारा दिए गए सामान भी जप्त कर लिया जायेगा।

विवाह प्रथा, बाल विवाह, छूआ-छूत, बलि प्रथा, देवदासी प्रथा जैसी अनेक कुप्रथाओं की थी जिनको बड़े गर्व के साथ माना जा रहा था लेकिन जैसे-जैसे इन कुप्रथाओं से होने वाली बुराइयों पर लोगों का ध्यान जाना शुरू हुआ तो समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया और लोगों को समझाया। ठीक ऐसा ही कुछ मृत्युभोज को भी खत्म करने के लिए करना होगा। तेरहवी को खत्म करने के लिए समाज को अपने अन्दर वैज्ञानिक सोच को विकसित करना होगा और हर उस बात को वैज्ञानिक कसौटी पर परखना होगा जो समाज को बरगलाने के लिए गढ़ी गई हैं। उनकी सत्यता को परखने के बाद ही हमें उन्हें अपनाना चाहिए।

इस्लाम धर्म में भी तेरहवीं पर पुड़ी खाने जैसी कोई प्रथा नही है। इस संदर्भ में मों साहिल ने बताया कि इस्लाम में कुरानखानी होती है, जो चालीस दिन के अंदर होती है। इसमें कुरान का तिलावत की जाती है। कुरान का तिलावत करने वाले लोगों को चाय, नास्ता या फिर खाना खिलाया जाता है, लोग अपनी-अपनी आर्थिक स्थिति व सुविधा के अनुसार प्रबंध करते है। इस आयोजन में ऐसी कोई

डॉ. आर के सुखदेवे
अध्यक्ष, तर्कशील परिषद, छत्तीसगढ

पहले किसी कारण से लोगों ने तेरहवीं की शुरुआत की, ब्राहमणों की देन है भोज। बाद में ये परम्परा बन गई। उसके बाद यह परम्परा संस्कार हो गये। भोज आवशयक हो गए। यदि भोज नही दिया गया तो मृतक स्वर्ग में नही जाएगा। इस प्रथा को धीरे धीरे समाप्त कर निकालने की कोशिश की जा रही है लेकिन निकालने वालों की संख्या कम है। इसको मानाने वालों की संख्या ज्यादा है। हम (तर्कशील परिषद्) लोग श्मशान घाट में जा कर नाश्ता करते हैं और करवाते हैं। दाह संस्कार हो रहा हो और उसी बीच हम 20-25 लोग पहुच जाते हैं और नाश्ता पानी करते हैं और उनको भी करवाते हैं। उनसे कहते हैं कि यह पवित्र जगह है। यहाँ से जाने के बाद नहाने की जरुरत नही है लोग नहाते इस लिए हैं कि श्मशान घाट से आये है। आप शुद्धता की वहज से नहाहिए, लेकिन श्मशान घाट से लौटकर नहाने की जरुरत नही है। कई मौकों पर श्मशान घाट से लौटकर न तो मैंने स्नान किया और न ही कपड़े धोए। राम नाम सत्य है कहने के बजाय आप यह कहिए कि जीवन मरण सत्य है, इसको स्वीकार कीजिए। इसको टाला नही जा सकता। किसी काल्पनिक पात्र को सत्य कहना ये किसी धर्म विशेष के लोगों का वाक्यांश है।

हमारे यहाँ मृत्यु के बाद अर्थी पर चिल्हर पैसे और धन रखने का रिवाज है, अपने पिता जी की मृत्यु के बाद मैंने पैसे और धान को नही रखने दिया, पैसे के ऊपर राज्य चिन्ह बना होता है इसको फेकना और जलना अपमान है। धन और पैसे फेकने की मनहीं कर दिया। जिसके परिणाम स्वरुप बहुत लोग नही आये लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि मेरे गाँव में बहुत से लोगों ने पैसे और धान फेकना बंद कर दिया।

पाबंदी नहीं होती जो की आपको निश्चित लोगों को बुलाने पर मजबूर करें।

छत्तीसगढ़ के सामाजिक चिंतक और कार्यकर्ता अखिलेश एडगर जो की इसाई धर्म से संबंध रखते हैं, ने बताया कि इसाई धर्म के किसी भी संप्रदाय में इस प्रकार की कोई प्रथा नही है। मृतक के लिए शोक व्यक्त करने के लिए शोक और श्रधांजलि सभा होती है।

जातियों में विभाजित समाज को आप एक करे, ये भी अजीब हैं। उनका टेंपर अलग-अलग हैं। इस लिए शिक्षा उसको उलट सकती हैं। वो इसका समाधान दे सकती हैं। आप समाज को ज्ञान के रास्ते पर ले जा कर उसको नयी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। वही रास्ता हैं बाकी तो सब उसमें मदद कर सकते हैं। ■

कमलेश यादव
@ +91 9792456575

सपा-बसपा नेतृत्व का वैचारिक दिवालियापन

दिवाली आने में अभी समय है, लेकिन सपा और बसपा दोनों पार्टियों के सुप्रीमों ने अपनी-अपनी पार्टी का दिवाला निकालने की योजना बना डाली है। अपनी-अपनी पार्टी के सिद्धांतों, सामाजिक-आर्थिक नीतियों को जनता के बीच ले जाने के बजाए दोनों सुप्रीमो ब्राह्मणों को अपनी-अपनी पार्टी में लाने के लिए कमर कसे हुए हैं और यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि दोनों के अंदर ब्राह्मणों से प्रेम करने का जबर्दस्त उत्साह जागा हुआ है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए दोनों सुप्रीमो प्रभु श्रीराम और भगवान परशुराम के आगे दंडवत नतमस्तक हो गए हैं। इतना ब्राह्मण-प्रेम कभी कांग्रेस पार्टी ने भी खुलकर प्रदर्शित नहीं किया, जबकि वह जन्म से ब्राह्मण-वर्चस्व की पार्टी रही है। इतना जबर्दस्त ब्राह्मण-प्रेम कभी आर्यसमाज ने भी सरेआम नहीं दिखाया, जबकि उसके भी संस्थापक ब्राह्मण (महर्षि दयानंद) थे। यहाँ तक मुझे जानकारी है, भाजपा ने भी कोई ब्राह्मण-सम्मेलन आज तक नहीं किया, जैसाकि सपा और बसपा आतुर हैं। ब्राह्मणों के लिए काम करने वाले सैकड़ों संगठन देशभर में मौजूद हैं, जो अपने हकों की आवाज उठाते हैं और सरकारें उन पर ध्यान भी देती हैं। ये संगठन आए-दिन अपने बैनर तले ब्राह्मण-सम्मेलन करते रहते हैं। किन्तु सपा-बसपा के ब्राह्मण-प्रेम को देखकर ऐसा लगता है, जैसे वे भी राजनीतिक दल से ब्राह्मण-संगठन में बदल गए हैं।

सवाल उठता है कि इन दोनों पार्टियों को ब्राह्मणों का वोट ही क्यों चाहिए? क्या अन्य सवर्ण जातियों से उनकी दुश्मनी है? या, उन्होंने यह मान लिया है कि बाकी सवर्ण जातियां उनके साथ पहले से ही जुड़ी हुई हैं, और उनसे प्रेम करने की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है?

निश्चित रूप से इन दोनों पार्टियों के सलाहकार ब्राह्मण हैं, जो इन पार्टियों में शायद नम्बर दो की या निर्णायक शक्ति की हैसियत रखते हैं। इसलिए जाहिर है, कि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी पार्टियों का दिवाला निकालने पर आमादा हैं, जैसे कांग्रेस के ब्राह्मण सलाहकारों ने कांग्रेस का दिवाला निकाल दिया। पार्टियों का भले ही दिवाला निकल जाए, पर उनके ब्राह्मण सलाहकारों पर कोई आंच नहीं आनी है, क्योंकि उनके लिए भाजपा में बेहतर भविष्य सुरक्षित है।

बसपा सुप्रीमो को अच्छी तरह पता है कि मुसलमान उनके साथ नहीं है। वे काफी हद तक सपा से जुड़े हुए हैं। उत्तरप्रदेश में मुस्लिम आबादी भी लगभग 20 प्रतिशत है, जो ब्राह्मणों से तो कम से कम छः गुना ज्यादा ही है, लेकिन क्या कारण है कि मायावती ने मुसलमानों को जोड़ने के लिए मुस्लिम-सम्मेलन नहीं किया? बसपा के साथ पिछड़ा और महादलित वर्ग भी जुड़ा हुआ नहीं है, जो प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी हैं। लेकिन मायावती ने उनको भी अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई।

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चेहरे पर इस बात का दर्प है कि प्रदेश के मुसलमान सपा के वोट बैंक हैं, लेकिन यह दर्प अब चूर हो सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की 'मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन' पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा को टक्कर दे सकती है। पश्चिमी उत्तरप्रदेश में उसका जनाधार जिस ढंग से बढ़ रहा है, वह सपा के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। भाजपा भी ओवैसी की पार्टी को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि ऐसा करने से मुस्लिम वोट के विभाजन का लाभ भाजपा को मिलेगा।

सपा पिछड़ी जातियों की पार्टी मानी जाती है, परन्तु सच यह है कि सर्वाधिक पिछड़ी जातियां आज भाजपा के साथ हैं। भाजपा ने इन्हें महापिछड़ा वर्ग घोषित किया हुआ है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महापिछड़ा वर्ग की सपा से दूरी को लेकर चिंतित क्यों नहीं हैं? वे ब्राह्मणों की ओर ही क्यों आकर्षित हो रहे हैं? महापिछड़ा वर्ग को आकर्षित करने की आकांक्षा उनमें रत्तीभर पैदा नहीं हो रही है? दलित वर्गों को जोड़ने के लिए भी उनमें कोई उत्सुकता नहीं है। पूर्व में मायावती से गठबंधन करने के बावजूद उनकी छवि दलित विरोधी की बनी हुई है, जिसे रामपुर जैसे शहर में उनकी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां ने और भी पुख्ता किया है।

सवाल यह है कि अगर सपा और बसपा दोनों पार्टियों को एकाध परसेंट वोट ब्राह्मणों के मिल भी गए, तो क्या वे मंजिल पा लेंगे?

किन्तु इससे भी बड़ा सवाल सपा-बसपा सुप्रीमों के वैचारिक भटकाव का है, जिसके कारण वे पथ-भ्रष्टता, दिशा-हीनता और बौद्धिक जड़ता के शिकार हो गए हैं। इसी भटकाव से मायावती बहुजन हिताय से सर्वजन हिताय की ओर आ गई हैं, जबकि यह सार्वभौमिक सत्य है कि सर्वजन हिताय एक ऐसा शब्द है, जो अपने मूल अर्थ में ही एक असम्भव क्रिया है। अगर यह एक संभव क्रिया होती, तो बुद्ध बहुजन हिताय की जगह सर्वजन हिताय ही कहते। वे जानते थे कि सबका हित नहीं किया जा सकता, हित उन्हीं का किया जा सकता है, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, और ऐसे लोगों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसे सर्वाधिक लोग ही बहुजन हैं। सर्वजन हिताय में सबके हित का मतलब है शोषक का भी हित और शोषित का भी, चोर का भी हित और शाह का भी, अमीर का भी हित और गरीब का भी तथा शीलवान का भी हित और दुष्ट का भी। क्या मायावती सर्वजन हिताय का नारा देकर शोषक वर्गों का हित करने का सन्देश दे रही हैं? लगता तो ऐसा ही है।

अखिलेश यादव अपने आपको समाजवादी कहते हैं, फिर वह जनता में समाजवादी विचारधारा का प्रचार करने के बजाए ब्राह्मणों को आकर्षित करने के लिए भगवान परशुराम की विशाल मूर्ति बनवाने की घोषणा करके कौन से समाजवाद का परिचय दे रहे हैं? क्या उन्हें नहीं लगता कि उन्हें लोकतंत्र के मुद्दों पर, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों और स्त्रियों के मुद्दों पर, जन-विरोधी पूंजीवाद के विकास के मुद्दे पर, भाजपा सरकार की गरीब-विरोधी, मजदूर-विरोधी नीतियों और किसान-विरोधी काले कानूनों पर अपनी राजनीति को फोकस करना चाहिए था।

क्या सपा-बसपा दोनों पार्टियों के सुप्रीमों को उत्तरप्रदेश में निरंतर बदतर होती शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है? अगर दिखाई दे रही है, तो उन्होंने शिक्षा और जन-स्वास्थ्य के मुद्दे पर अपनी पार्टी की ओर से जनता को जागरूक करने के लिए लगातार रैलियां और सम्मेलन करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की? क्या उन्हें योगी सरकार के विरुद्ध एक बेहतर वैकल्पिक शासन-व्यवस्था का माडल प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था? क्या कारण है कि ये सब न करके वे ब्राह्मणों को लुभाने का हास्यास्पद प्रयास कर रहे हैं? क्या ब्राह्मणों को लुभाना एक बेहतर शासन-व्यवस्था का माडल है?

अगर समय रहते दोनों दलों के सुप्रीमो अपने वैचारिक भटकाव से बाहर नहीं निकले, तो वे भाजपा की ही राह आसान करने जा रहे हैं। ▪

कँवल भारती
@ +91 9412871013

किसान आंदोलनः मानसून सत्र में किसानों की मांग को किया गया अनदेखा

किसान आंदोलन इस समय देश का सबसे बड़ा आंदोलन में से एक है। पिछले आठ महीने से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली के बार्डर पर धरना दे रहे हैं। वहीं सबसे खास बात यह है कि इस बार संसद में हो रहे मानसून सत्र से किसानों को काफी उम्मीद थी कि संसद में उनका समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन संसद में उनके मुद्दे पर कोई ठोस कदम न उठाए जाने से वे निराश हैं। अभी तक किसानों की मांग का हल न पाने के कारण वे काफी मायूस नजर आ रहे हैं।

उत्तर भारत के किसानों ने काफ़ी लंबे समय के बाद राजधानी दिल्ली को अपने विरोध का गढ़ बनाया है। दिल्ली में 32 साल पहले भी इसी तरह का किसान आंदोलन देखने को मिला था। उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों को लेकर बोट क्लब पहुँच कर धरने पर बैठ गए थे, जहां उनकी माँग थी कि गन्ने की फसल के दाम ज़्यादा मिलें और बिजली-पानी के बिलों में छूट मिले, इस मांग को उस समय की सरकार ने पूरी भी कर दी थी। आखिरकार 32 साल बाद फिर किसान एकजुक होकर दिल्ली के बॉर्डर पर डट कर लाखों किसानों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, इसबार माँग ये थी कि कुछ महीने पहले लागू हुआ नया कृषि कानून को वापस लिया जाए।

एक तरफ किसान ने अपने आंदोलन को काफी तेज रखा तो, दूसरी तरफ़ सरकार उनसे बातचीत करने की इच्छुक दिखी, लेकिन नए किसान कानून को वापस लेने या पूरी तरह से बदलने की बात पर आंदोलनकारी किसान डटे रहे।

- **कुछ अहम सवाल हैं जिसे हमें जानना काफी जरूरी है।**
- **क्या भारतीय किसानों ने किसी नए कृषि कानून की माँग की थी?**

भारत में किसान आंदोलन का इतिहास पुराना है। इससे पहले भी पंजाब, हरियाणा, बंगाल, दक्षिण और पश्चिमी भारत में पिछले सौ वर्षों में कई दफा विरोध-प्रदर्शन हुए हैं। वहीं इस बार नए कानून को लेकर किसानों ने नाराजगी जताई और आंदोलन करने का फैसला किया।

किसानों का मानना है उन्हें जो चाहिए था वो नए कानून में नहीं है। दूसरी ओर केंद्र सरकार कहती रही है कि असल में नया कानून किसानों के हित के लिए ही पारित किया गया है। अब किसान अपनी फसलें निजी कम्पनियों को बेच सकेंगे और ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। लेकिन किसान संगठनों ने इस ऑफ़र को इस बिनह पर ख़ारिज किया है कि ये तो कभी माँग ही नहीं रही।

इस मामले को लेकर टाटा इंस्टीट्यूट आफ़ सोशल साइंसेस, मुंबई में कृषि-अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर आर रामकुमार से उनकी राय पूछे जाने पर उन्होंने कहा, किसानों की माँग हमेशा मंडियो को बढ़ाने की रही है, लेकिन नए कानून में मंडियो का खत्म करने का जिक्र है।

प्रोफेसर ने कहा, ये भी माँग रही है कि प्रोक्यूरमेंट सेंटर ज़्यादा क्रॉप्स के लिए और ज़्यादा राज्यों में खोलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें। लेकिन सरकार ने प्रोक्यूरमेंट सेंटर ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ही खोल के रखा है। इसकी वजह से वहाँ ज़्यादा प्रोक्यूरमेंट होता है और दूसरे प्रदेशों में कम होता है। किसानों की माँग ये भी रही है कि कॉंट्रैक्ट फ़ार्मिंग कई जगह पर हो रही है लेकिन उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, उसका रेगुलेशन लाइए।

आपको बता दें, ऐतिहासिक तौर से भारत एक कृषि-निर्भर अर्थव्यवस्था रही है तो ज़ाहिर है इसमें बदलाव भी आते रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या आने वाले बदलाव धीमी गति के रहे हैं जिनके केंद्र बिंदु में किसानों के हितों को रखने के दावों पर बढ़ चढ़कर राजनीति भी हुई है। संसद में इस नए कानून को लेकर खींचतान बनी रही और विपक्ष ने सरकार पर किसानों की राय न लेने का आरोप लगाया है।

सेंटर फ़ॉर पॉलिसी रिसर्च की फ़ेलो और अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली मेखला कृष्णमूर्ति ने इस मुद्दे पर अपना विचार रखते हुए कहा कि, ये जो नया कानून है उनका कहना है कि हम ट्रेड को फ़्री कर देंगे, कि आपको मंडी में लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। भारत में 22 राज्य ऐसे हैं जहाँ ये पहले से ही लागू है कि आप मंडी के बाहर लाइसेंसलेकर ख़रीद सकते हैं। किसान का शक़ है कि आप मंडी

हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर स्वामीनाथन की अगुआई में बनी एक कमिटी ने साल 2006 में कुछ अहम सुझाव दिए-

- फसल उत्पादन क़ीमत से 50 प्रतिशत ज़्यादा दाम किसानों को मिले।
- किसानों को कम दामों में क्वालिटी बीज मुहैया कराए जाएं।
- खेतिहर जमीन और वनभूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कॉरपोरेट को न दिया जाए।
- गांवों में विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाए।
- महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिले।
- फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए मिले।
- खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर गरीब और जरूरतमंद तक पहुंचे।
- सरकारी मदद से किसानों को मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर कम करके 4 प्रतिशत की जाए
- किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मदद मिले।
- सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही ज़मीन के टुकड़ों का वितरण किया जाए।

को तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ़ वो किसान जिसके पास मंडी कभी आई ही नहीं है, वो सोच रहे हैं मंडी कब आएगी।

किसानों की क्या मांग रही है और उन्हें नए कृषि कानून में क्या मिला है?

भारत सरकार की नैशनल कमीशन ऑफ़ फ़ारमर्स के पूर्व सदस्य वाईएस नंदा का मानना है कि कृषि के क्षेत्र में, प्रयोग ज़्यादा और असल काम कम हुए हैं। उन्होंने कहा, 80's और 90's में ग्रोथ अच्छी थी। छठे फ़ाइव-इयर प्लान में कृषि की ग्रोथ 5.7 प्रतिशत थी और जीडीपी ग्रोथ 5.3 प्रतिशत थी। ऐसा दोबारा नहीं हुआ कभी। और 90's के बाद तो ग्रोथ कम हो गई है। रुरल इंफ़्रास्ट्रकचर में इन्वेस्टमेंट कम हो गई है जिसकी वजह से कृषि की ग्रोथ कम हो गई है। कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति का फल अगर अगले दो दशकों तक दिखा, मगर आगे 90 के दशक में कृषि सेक्टर की रफ़्तार धीमी पड़ गई।

मौजूदा व्यवस्था में किसानों का कहना है कि इनमें से बहुत अभी लागू नहीं हुई है और उन्हें ज़्यादा मंडियाँ और कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग में सुरक्षा देने वाले कानून चाहिए। जबकि सरकार कहती है कि ख़राब मार्केटिंग के चलते किसान को अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए निजी कम्पनियों और स्टोरेज वेयरहाउज़ेज़ को लाने से वैल्यू चेन में किसानों का क़द बढ़ेगा।

बड़े आंदोलन की चेतावनी

टिकैत ने कहा कि पांच सितंबर को

मुज्जफरनगर में बड़ी पंचायत कर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। संयुक्त मोर्चा ने 8 महीने तक आंदोलन करने के बाद ये फैसला लिया है कि यूपी और उत्ताराखंड के साथ पूरे देश में आंदोलन को बढ़ाएंगे।

किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो दिल्ली-एनसीआर के चारों बॉर्डर (टीकरी, सिंघु, शाजहांपुर और गाजीपुर) पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे। 24 घंटे लंगर चलता था। कूलर-एसी समेत किसानों के लिए यहां पर तमाम संसाधन उपलब्ध कराए गए थे। धीरे-धीरे किसान आंदोलन फीका पड़ा तो भीड़ गायब होने लगी। 8 महीने पूरे होने पर स्थिति यह है कि चारों बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की कुल संख्या भी 1000 तक नहीं पहुंच रही है। ■

अतुल यादव
@ +91 7531989343

हम दो हमारे दो

भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसँख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.4 प्रतिशत है। विश्व में चीन के बाद दूसरे पायदान पर है। भारत की कुल जनसंख्या 121.05 करोड़ है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका इंडोनेशिया ब्राजील पाकिस्तान बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या 121.45 करोड़ से लगभग थोड़ी ही कम है। उत्तर प्रदेश, देश का सबसे ज्यादा जनसँख्या वाला राज्य है।

» जनसंख्या नियंत्रण पर उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति 2021-2030

11 जुलाई जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति का ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और बताया कैसे आबादी प्रदेश के विकास की राह में बाधक बन गई है उन्होंने कहा कि नई नीति का लक्ष्य उद्देश्य जनसंख्या स्थिति स्तरीकरण नियंत्रण पाना है अर्थात प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ने से रोकने के प्रयास आप उपाय किए जाएंगें। नई नीति के तहत सरकार परिवार नियोजन से जुड़े अनेक कार्यक्रम शुरू करेगी। गर्भनिरोधक उपायों की पहुंच बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने को लेकर और अधिक केंद्रित रहेगी। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए उपायों पर बल दिया जायेगा।

» उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति की मुख्य सिफारिशें

- दो या दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड सिर्फ चार सदस्यों तक ही सीमित रहेगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा/सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- नीति लागू होने के साल भर के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वह नियम दो बच्चों तक सीमित रहने का उल्लंघन नहीं करेंगे।
- शपथ पत्र देने के बाद यदि वह तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और सेवा से बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है हालांकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है।
- दो बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को सरकार द्वारा कुछ खास सुविधाएं दी जाएंगी।
- ऐसे सरकारी कर्मचारियों को वह अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रमोशन 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश जीवन साथी को बीमा कवरेज सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट पीएफ में एंप्लॉय कंट्रीब्यूशन हटाने की सुविधाएं भी मिलेंगी।
- जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।
- दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और ना ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव या पंचायत चुनाव लड़ पाएगा।
- जन्म दर 1.9 तक लाने का लक्ष्य

मानव संसाधन कैसे बनेगी मानव पूंजी

मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश की आवश्यकता है। शिक्षा में निवेश मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन एवं सुचना मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। यह अलग बात है कि मानव पूंजी निर्माण की दिशा में कितना कार्य किया गया ? मानव पूंजी निर्माण सरकार का कार्य है इसे जनता के लिए नही छोड़ा जा सकता है। जनसंख्या को बोझ मानकर उसपर जबरिया जनसंख्या कानून थोपकर सरकारें अपनी जबावदेही से बच रहीं हैं। मानव पूंजी निर्माण की पहली शर्त शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाकर जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ, प्रशिक्षण, सूचना के दिशा में किये गए कार्यों के साथ जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

रविन्द्र यादव
वरिष्ठ नेता, प्रयागराज

देश के तमाम न्यूज चैनलों पर नई जनसंख्या नीति को लेकर मौलानाओं को लेकर डिबेट की जा रही थी जिसे देख कर लग रहा था कि शायद आबादी बढ़ाने का काम मुसलमानों के ही जिम्मे हैं, लोगों में इस तथ्य को इस प्रकार से प्रचारित किया गया है की लोग मानाने लगे हैं कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं, शायद भाजपा भी इसी को भुनाना चाह रही है, लेकिन हिन्दुत्ववादी संगठनों के उस नारे 'जब जब हिन्दू घटा है देश बटा है' का क्या होगा? साक्षी महाराज ने चार बच्चे और 2015 में लखनऊ में विश्व हिन्दू परिषद् के सम्मेलन में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए बद्री के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने 10 बच्चे पैदा करने की अपील की थी।जिसके प्रभाव में आकर देश के तमाम पिछड़े और दलित जातियों के लोगों ने हिन्दू जनसंख्या को संतुलित करने के लिए देश में जनसंख्या बढ़ाने में अपना बड़ा योगदान दिया है। पांच किलो राशन से भले ही इनको पोषण न मिले लेकिन कुछ हद तक इनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। भूखे पेट नही सोते थे लेकिन अब इन्हें भूखे सोना पड़ेगा। कपड़े और घर तो पहले से इनके पास नही था अब जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर रोटी से भी इन्हें रोका जा रहा है। बच्चे तो पहले भी पैदा करते थे लेकिन अब रोटी के आभाव में अब वे चूहे पैदा करेंगें चूहे।

जनसंख्या नीति में जन्म दर को प्रदेश में 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य सरकार का है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनरल अभी 2.7 है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

» सवालों के घेरे में कानून

सामाजिक और राजनीतिक चिन्तक राजेश प्रधान ने इसे जबरिया थोपे जाने वाला कानून बताया, उन्होंने कहा कि इस कानून से एक वर्ग विशेष को टारगेट कर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के जरिए जहाँ भाजपा उत्तर प्रदेश में सामाजिक ध्रुवीकरण कर सत्ता वापसी की चाल चल रही है, जनसँख्या नियंत्रण पर यदि वास्तव में गंभीर हैं तो लोगों को विश्वास में लेकर जागरूक किया जाना था, जनजागरूकता फैलानी चाहिए थी। एकाएक कानून थोपकर क्या सन्देश देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता अधिक जरुरी है हिन्दू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बिना बेटे के मुखाग्नि दिए स्वर्ग नही मिलता है। ऐसे लोगों का क्या होगा जिनकी दो बेटियां हैं, सरकार को इस कानून के साथ भ्रूण हत्या पर कड़ा कानून भी बनाना होगा।

» जनसंख्या पर कानून सियासत

वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून को लेकर राजनीतिक गलियारों में शोर का उठना स्वाभाविक था और उठ भी रहा है। एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इसे सबके हित में सही दिशा में लिए गया कदम बता रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस कानून को लोगों का ध्यान भटकाने वाला शिगूफा बताया है। जबकि कांग्रेस ने कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए अनेक प्रश्न दागे हैं।

जनसंख्या साधक या बाधक -भारत की बडी आबादी के लिए जनसंख्या विस्फोट जैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देश में अधिक जनसंख्या है इसे मानव संसाधन के रूप में लिए जाने की आवश्यकता है। आज हमारे पास युवाओं की एक बहुत बडी फौज है। मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है, यदि हम इसमें सफल हो पाते हैं तो जनसंख्या हमारे लिए साधक हो जाएगी। ■

देशराज एडवोकेट
@ +91 9415767238

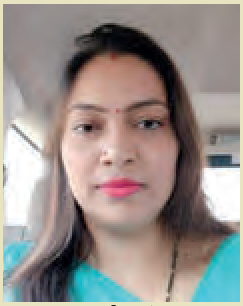

अंजनी सरोज
वरिष्ठ नेत्री, औराई

सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लाती है तो उसकी चपेट में सबसे ज्यादा हिंदू ही आएंगे। यूपी में हर एक मुसलमान परिवार के मुकाबले तीन हिंदू परिवार ऐसे होंगे, जिनमें दो से ज्यादा बच्चे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी आप जानते ही हैं कि किनको ज्यादा मिलता है। अगर बीजेपी ये कानून लाती है तो उसके 50 एमएलए भी नहीं जीत पाएंगे। जनगणना कानून पर मौलानाओं को बैठाकर टीवी चैनल डिस्कशन क्यों करा रहे हैं? दो से ज्यादा बच्चे वाले सभी परिवारों को देखें तो ऐसे हिंदू परिवार, मुसलमान परिवारों से कम से कम तीन गुना ज्यादा होंगे। यानी अगर यूपी में कुल 10 लाख परिवार 2 से ज्यादा बच्चे वाले होंगे तो उनमें 7 से 8 लाख तक तो हिंदू परिवार ही होंगे।सरकार आंकड़ा तो जारी करे कि बड़े परिवार कितने हैं और किस धर्म वालों के कितने बड़े परिवार हैं। सरकार ये कानून कभी नहीं बनाएगी। बीजेपी बस ये चाहती हैं कि मुसलमान विरोध करें, जो कि वे करेंगे नहीं। वैसे भी सरकारी योजनाओं के लाभ लेने पर ही तो रोक लगती है। वह लाभ ज्यादातर कौन ले रहे हैं। जो लाभ ले रहे हैं, वे सोचें।

असली आरएसएस कौन?

आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत व आर.एस.एस. प्रमुख जनार्दन मून में छिड़ी जंग

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाम फर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच कानूनी और वैचारिक संघर्ष जारी है। मून और उनके समर्थक हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फर्जी इसलिए कहते हैं। उनके पास कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज नहीं है।

भारत में आज जो भी थोड़ी भी सामाजिक समझ रखता है उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस एक जाना पहचाना नाम है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलीराम हेडगेवार द्वारा की गई थी, तब उन्हें यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही चुनौती मिलेगी। वह भी नागपुर से ही। हेडगेवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वर्ष 2025 को सौ वर्ष पूरे होने वाले है। पिछले नब्बे वर्षों में इसकी छवि हिन्दू संगठन के रूप में सामने आई है। स्थापना के साथ ही इस संगठन में ब्राह्मणवादी वर्चस्व दिखाई पड़ता है। महात्मा गांधी की हत्या और बाबरी मस्जिद विध्वंस का आरोप लगता रहा है। नब्बे के दशक से ही भारतीय राजनीति को यह संगठन अपनी विचारधारा से प्रभावित करता रहा है।

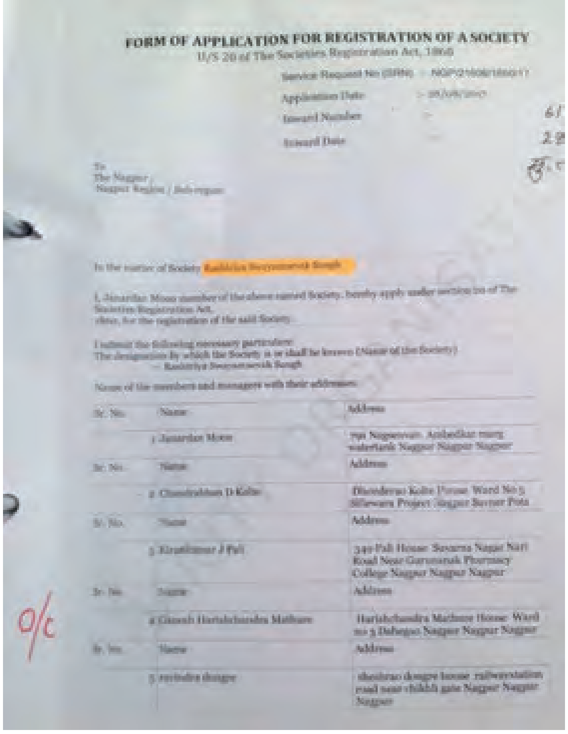

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF A SOCIETY

U/S 20 of The Societies Registration Act, 1860

यह परिचय हेडगेवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। 2017 में नागपुर में ही एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई है जिसके संथापक जनार्दन मून हैं। जनार्दन मून का सामाजिक जीवन छात्र आंदोलन से शुरू होकर, समाज के अलग अलग वर्गों के लिए काम करना है।उन्होने हजारों बेघर के लिए नगसेन वन, योशोदरा नगर और धम्मदीप नगर बसाया है। जिसमे सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। नगसेन वन में वे स्वंय भी रहते है।

जनार्दन मून ने हेडगेवार द्वारा स्थापित संघ की पूरी जानकारी इक्ठा की। उन्हे यह पता चला कि लगभग सौ साल से चलने वाली संघ का किसी भी सरकारी विभाग में पंजीकरण नहीं है। जनार्दन मून ने हेडगेवार स्थापित संघ की इस कमजोरी का फायदा लेते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम संस्था के पंजीकरण के लिए 28 अगस्त 2017 को विभाग में ऑनलाइन आवेदन कर दिया, जल्दी ही उन्हें पंजीकरण क्रमांक SRN: NGP/21606/1860/17 मिल भी गया। जिसके बाद हेडगेवार स्थापित संघ में भूचाल आ गया।हेडगेवार स्थापित संघने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण होने के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं मिलने दिया। जनार्दन मून ने न्याय पालिका का रास्ता पकड़ा। उन्होंने जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्बोच्च न्यायालय न्याय पालिका में अपनी शिकायत कर दी। पिछले दो वर्षपूर्व हेडगेवार स्थापित संघ से संबंधित लोगों ने संस्था पंजीकरण विभाग नागपुर में शिकायत की और आरोप लगाते करते हुए कहा कि जनार्दन मून हेडगेवार स्थापित संघ के नाम का उपयोग कर रहे है, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति फैल रही है। संस्था पंजीकरण विभाग नागपुर ने इस शिकायत पर जनार्दन मून को नोटिस देकर जवाब मांगा। जनार्दन मून ने लिखित जवाब दिया कि हेडगेवार स्थापित संघ का संस्था पंजीकरण विभाग या किसी भी सरकारी विभाग में पंजीकरण नहीं है। जबकी उनके द्वारा (जनार्दन मून) स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऑनलाइन पंजीकरण सरकारी विभाग में 2017 में है, इसलिए हेडगेवार स्थापित संघ मेरे संगठन का नाम का उपयोग कर के समाज में भ्रम फैला रही

है। जनार्दन मून ने स्वंय पंजीकृत कराई गई संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सरकारी विभाग से मान्यता प्राप्त बताते हुए, हेडगेवार स्थापित संघ के खिलाफ संस्था पंजीकरण विभाग नागपुर में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में उन्होनें कहा कि उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम का अन्य लोग दुरुपयोग कर रहे है। हेडगेवार स्थापित संघ द्वारा जनार्दन मून को प्रलोभन देकर प्रभावित करने की कोशिश की गई कि वह अपने संगठन का नाम बदल दें। जनार्दन मून ने अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस 'क्रांति दिवस' के रूप में हेडगेवार स्थापित संघ मुख्यालय के समीप बने कवि वीरिया सुरेश भट सभागृह में मनाने का निर्णय लिया जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व विधान सभा अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा परिषद के सदस्य अमोल मिटकरी, महाराष्ट्र के न्यायधीश कोडसे पाटिल जैसे नामीचीन लोगों ने अपनी उपस्थिती दर्ज कराई। इसी मंच पर से जनार्दन मून ने हेडगेवार स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह कर संबोधित करना शुरू किया। मून जनार्दन मून और उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते और लिखते हैं।

आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाम फर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच कानूनी और वैचारिक संघर्ष जारी है। मून और उनके समर्थक हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फर्जी इसलिए कहते हैं। उनके पास कोई भी सरकारी मान्यता प्राप्त दस्तावेज नहीं है। उनका आरोप है कि उनके विचारों में सेवा नहीं स्वार्थ है।

जनार्दन मून द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तेरह सूत्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत 2020 में की। जिसके मुख्य बिदुओं पर काम भी शुरू किया गया है। जिसके कुछ बिन्दु इस प्रकार है, - जनता के पैसे का दुरुपयोग करके मोहन भागवत को दी गई जेड प्लस सुरक्षा वापस लेना, संघ मुख्यालय से सीआईएसएफ सुरक्षा हटाना व संघ मुख्यालय में रखे अवैध हथियार की जाँच व कारवाई करवाना। इसके आलावा नागरिकता कानून को यथावत रखकर एनपीआर और एनसी आर को रद्द करना, संविधान के अनुसार आरक्षण कायम रखना, भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्याओं (मोब लिंचिंग) एंव अलपसंख्यक समुदायों की समस्याओं का निराकरण करने जैसे बिंदुओं का समावेश है। इन तेरह सूत्रीय बिंदुओं को अमलीजामा पहनाने के लिए जनार्दन मून का संघ निरंतर जमीन पर काम कर रहा है। सीएए आंदोलन, किसान आंदोलन, निजीकरण का विरोध जैसे आंदोलनों में अपना समर्थन और सहयोग दे रहा है। मून द्वारा पंजीकृत संघ ने मोहन भागवत की जेड प्लस सुरक्षा और हेडगेवार स्थापित संघ के अवैध हथियारों पर कारवाई करने के लिए उच्च न्यायालय में केस भी दायर किया है, जिसकी निरंतर सुनवाई की जा रही है। मून द्वारा स्थापित संगठन का विस्तार भी हो रहा है जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं। पंजीकृत संघ के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अब्दुल पाशा है। नागपुर जिला इकाई के अध्यक्ष अकबर बादशाह है। ब्लॉक स्तर पर पद आबंटित किए जा रहे हैं। देश के अन्य शहरों में पदभार दिए गए हैं। ▪

आकाश खोब्रागडे
@ +91 7769956717

छुरी कहीं भी गिरे, कटेगा तो...

मध्यप्रदेश के नेमावर में एक आदिवासी दलित लड़की सहित 5 लोगों की हत्या, कारण एक ब्राह्मण लड़के से प्रेम संबंध। लड़का और लड़की दोनों एक दुसरे से प्रेम करते थे बाद में लड़का शादी से मुकर जाता है और लड़के वालों ने पूरे परिवार को मार डाला है।लाश जमीन में दबा दी और उन पर नमक और खाद डाल दिया। जिससे लाश जल्दी सड़ जाए। मुख्य हत्या आरोपी कथित हिन्दू संगठन का पदाधिकारी है। ये हाल के वर्षों के सबसे जघन्य हत्याकांड में से एक है।

2018 में ऐसी ही एक घटना तेलंगाना के नालगोंडा में जहाँ एक दलित युवक की उसकी गर्भवती पत्नी के सामने क्रूरता से हत्या कर दी गई। शर्मनाक यह है कि उसकी हत्या की वजह अंतरजातीय विवाह करना बना। 23 वर्षीय प्रणय कुमार अपनी पत्नी के साथ अस्पताल से निकल रहे थे, जब उनपर कुल्हाड़ी से हमला कर एक के बाद एक लगातार कई वार किए गए। प्रणय की मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक धोबी लड़के की हत्या कारण एक ब्राह्मणलड़की से प्रेम विवाह करना। ब्राह्मण लड़की से प्रेम विवाह करने वाले युवक अनीश कुमार चौधरी की 24 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि इसके पीछे अनीश के ससुराल वालों का हाथ है।अनीश और दीप्ति ने एक साथ पंडित दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी हालांकि दोनों के विषय अलग अलग थे, अनीश प्राचीन इतिहास और दीप्ति ने समाजशास्त्र से एमए किया था। कैंपस में हुई मुलाकातों के बीच अनीश और दीप्ति का चयन ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर हो गया।

भले ही सभी घटनाओं में भौगोलिक अंतर है लेकिन सभी घटनाओं की प्रकृति लगभग एक सी ही है खरबूजा छूरी पर गिरे या छूरी खरबूजे पर, छूरी कहीं भी गिरे कटना तो दलित को ही है। इन सभी घटनाओं में मृतक दलित समाज से संबंध रखते हैं।

कमोबेश यही स्थिति पूरे देश में है, कुछ घटनाएँ तो मीडिया की सुर्खियाँ बन जाती लेकिन अधिकतर घटनाओं के बारे में तो लोगों को भनक तक नही लगती है। दलित तो मरे गये लेकिन, सवर्ण बचे रह गए। इस प्रकार की घटनाओं में सवर्णीयत की रक्षा का यो प्रयास है, इसके सुधार के लिए सवर्ण समाज में आन्दोलन चलने की आवश्यकता है। सवर्णों में समाज सुधार की जरुरत है क्यूँ कि अभी वे सामाजिक रूप से बहुत उदार नही हुए हैं। ▪

बसावन प्रेरणा

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के कारण भारत में अब तक लोगों के जान गई है। लेकिन उन तमाम लोगों का आँकड़ा किसी के पास नहीं, जिनके सपनों का गला घोंटकर इस महामारी ने एक चलती-फिरती जिंदा लाश में तब्दील कर दिया है। ज्योति (बदला हुआ नाम) ऐसे ही दुर्भाग्यशाली लोगों की सूची में शामिल एक और नाम है। पाश उपनाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध कवि अवतार सिंह संधू की कविता की एक पंक्ति है, सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना। यह पंक्ति पढ़ी तो कई बार थी मगर समझी उस दिन जब पता चला कि ज्योति की शादी हो रही है।

ज्योति पढ़ना चाहती थी। पढ़-लिखकर जीवन में कुछ हासिल करना चाहती थी। कुछ बनना चाहती थी।अपने फैसले खुद लेना चाहती थी। छोटी से छोटी जरुरतों के लिए किसी पर निर्भर रहने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। मगर कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि मजदूरी कर के छः लोगों का पेट पालने वाले पिता के लिए परिवार की दो जून की रोटी की व्यवस्था करना मुहाल हो गया। नियति ने आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली ज्योति के हाथ से किताबें छीनकर काम पकड़ा दिया।

हाशिए पर रहकर भी अपनी मेहनत और हिम्मत के बल-बूते कुछ कर गुजरने वाले न जाने जाने ऐसे कितने लोगों के हौसलों पर कोरोना कहर बन कर टूटा है जिनकी पढ़ाई छूट गई। पढ़-लिखकर जिंदगी को बेहतर बनाने का, गरीबी और भुखमरी से छुटकारा पाने का जो एक आखिरी रास्ता बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें मिला था, स्कूल और किताबों के साथ ही वो भी बंद हो गया।

स्कूल क्या बंद हुए, ज्योति के लिए तो मानो किस्मत के दरवाजें ही बंद हो गए। कुछ दिनों बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई पर उसके पास ना तो स्मार्टफोन था और ना ही उसके पापा के पास इतना पैसा कि वह उसको स्मार्टफोन दिला पाते फोन लेना तो दूर उसके माँ-बाप जैसे-तैसे करके किसी तरह चारों बच्चों के लिए दो वक्त के खाने का पैसा जुटा पा रहे थे। पहले घर का काम निबटाकर ज्योति की मम्मी भी कुछ छोटे-मोटे काम जैसे- बीड़ी बनाना, रजाई में धागा डालना, ब्लाउज में बटन लगाना आदि कर लिया करती थी जिससे कुछ आमदनी हो जाती थी और बच्चों की कॉपी-किताब का खर्च निकल आता था। लेकिन कोरोना वायरस के कहर के चलते यह सब काम भी बंद हो गए। अब उसकी मम्मी के पास भी आमदनी को कोई जरिया नहीं बचा है।

उधर मुसीबतों ने तो जैसे ज्योति के घर का ही पता पूछ रखा है। आधे पेट खाकर कमजोर हो चले ज्योति के छोटे भाई को टी.बी. ने आ जकड़ा. परिवार की थोड़ी-बहुत जमा पूँजी घर के इकलौते बेटे के इलाज में स्वाहा हो गई। नात-रिश्तेदार कर्ज ने देते तो सर के ऊपर छत तक न बचती। दस बाई दस के एक छोटे से कमरे में तीन लड़कियां और एक टी.बी. के मरीज के साथ छः लोगों का परिवार कैसे बसर करता होगा, यह सोचकर ही शरीर में सिहरन होने लगती है।

उस दिन जब मम्मी ने फोन पर बताया कि ज्योति की शादी हो रही है तो ये सुनकर मेरे मन के किसी कोने में जैसे कुछ टूट सा गया, क्योंकि मैं जिस ज्योति को जानती हूँ वह सेटल होने से पहले सफल होना चाहती थी। दिल्ली में पढ़ाई और नौकरी के शुरूआती दिनों में मैं जब भी किसी त्यौहार पर घर जाती तो ज्योति मुझसे मिलने जरुर आती और ढ़ेरों सवाल पूछती। दीदी आपने दिल्ली में कहाँ से पढ़ाई की है? आपने कौन सा कोर्स किया है? आपको कहाँ नौकरी करती हैं? आप क्या काम करती हैं? आपने मीडिया ही क्यूँ चुना? कुछ और क्यूँ नहीं किया? आपको इसके बारे में किसने बताया? आदि- आदि। उसके ढ़ेरों सवालों के जवाब देकर मैं कहती कि तुम वही काम करना, जो तुम वाकई करना चाहती हो और जिसे करते वक्त तुम्हें एहसास ही न हो कि तुम कोई काम भी कर रही हो। यह सुनकर वह आश्वस्त हो जाती और अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगती।

आँखों के सामने ज्योति का वही मासूम सा चेहरा आकर ठहर गया। मम्मी अपनी रौ में बोले जा रहीं थीं, बिटिया अब ज्योति के पापा के काम का कोई ठिकाना तो है नहीं। कभी मजदूरी मिली, कभी नहीं। जब खाने के लाले पड़े हैं तो बेचारे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ज्योति हाथ बटाने को तैयार है पर मोहल्ले के आवारागर्दों की नजर भूखे भेड़ियों की तरह इन बच्चियों पर गढ़ी रहती है। माँ-बाप समझते तो सब हैं लेकिन किस-किस से लड़ते फिरें। उस दिन ज्योति की मम्मी यही सब बताते-बताते रुआंसी हो गईं। कहने लगीं कि किसी दिन कुछ ऊंच-नीच हो गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे।

मुसीबत में चौतरफा घिरे परिवार को ज्योति की शादी ही एकमात्र रास्ता नजर आया सो उन्होंने बिना देर किए उसपर कदम बढ़ा दिए। ज्योति की माँ ने शादी की बाबत जब रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से बात की तो कई लोग मदद को आगे आ गए और इस तरह शादी के लिए पैसा इकट्ठा हो गया। पढ़ने के लिए तो कौन कितनी मदद करता अलबत्ता शादी के नाम पर तो सब ने कहा कि चलो ठीक है बिटिया अपने घर चली जाए, खुश रहे।

...खुश रहे। ये शब्द जैसे मेरे कानों में अटक गए, मैं सोचने लगी कि अपने सपनों की बलि देकर भला कोई कैसे खुश रह सकता है, लेकिन ज्योति के पास नियति के इस फैसले के साथ कदमताल करने के अलावा और चारा भी क्या था। ▪

परिभाषा
@ +91 8826063330

बना रहे बनारस

इतिहास में बनारस

बनारस भारत के ऐतिहासिक नगरों में से एक है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में काशी महाजनपद की राजधानी के रूप में इसका उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने बनारस के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। व्हेन त्सांग ने इसे धार्मिक, शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और लिखा है कि इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे किनारे लगभग 5 किलोमीटर तक था।

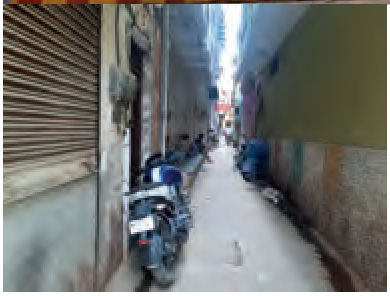

बनारस दुनिया के प्राचीन जीवित नगरों में से एक है। अंग्रजी लेखक और साहित्यकार मार्क ट्विन ने लिखा था कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किवदंती से भी पुराना है और सभी के साथ दोगुना दिखता है। बनारस के सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बनारस से चल कर बुद्ध की शिक्षाएं विदेशों तक पहुंची। बनारस मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन के दो महान नायक संत कबीर और रैदास की जन्मस्थली और कर्मस्थली भी है। बनारस हिन्दुओं के लिए भी विशेष स्थान रखता है। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आलावा बनारस की कुछ विशेषताओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनायीं जिनमे बनारसी साड़ी, बनारसी पान और बनारस की गलियां मुख्य रूप से है। बनारस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का भी केंद्र है। यहाँ के घाट लोगों को आकर्षित करते हैं। लोग गंगा में नौकायन का आनंद उठाते हैं।

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ में जनसंचार में शोध कर रहे विनय कुमार का कहना है कि सारनाथ में हुई खुदाई में विहार और बौध कलाकृतियाँ दिखती है यह पूर्णता नियोजित क्षेत्र था सारनाथ के चौकोर और गोलाकार बौध इमारतें स्तूप और पत्थरों पर की गयी नक्काशी उस समय की उत्कृष्ट शिल्पकारों की ओर ध्यान ले जाती है यदि इस शिल्प विज्ञान को लिपिबद्ध किया गया होता तो शायद भारत कि भवन निर्माण तकनीकि कुछ और ही होती, उसे स्थापत्यकला के लिए विकसित देशों की ओर नही देखना पड़ता, पत्थरों पर मनो भावों को उकेर देने वाले शिल्पकार और शिल्प लगभग समाप्त हो गयी। उनका कहना है कि जब मैंने सारनाथ के स्तूप पर हँसते हुए बुद्ध (लाफिंग बुद्धा) को देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इसके पहले मैं इसे चीनी कलाकृति समझता था।

बनारस के घाट

बनारस में गंगा तट पर अस्सी घाट है। जो लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं और जो एक दुसरे से जुड़े हुए है। गंगा के बाये किनारे पर है सभी घाटों के सामने उनके नाम लिखे गये हैं और उसके साथ एक-एक कहानियां भी लिखी गयी है। अलग अलग घाटों का उपयोग अलग अलग तरीके से लोगों द्वारा किया जाता है कुछ घाटों से मछुआरे मछलियों का शिकार करते हैं तो कुछ से नौकायन के लिए नावें घाटों पर लगी रहती हैं। और तो और यहां मरने के बाद लोगों की जलाए जाने की इच्छा होती है जिससे स्वर्ग का द्वारा खुलने की कथित मान्यता है। हरिश्चंद्र घाट पर लाशों को जलाया जाता है।

बनारसी पान

उत्तर भारत में शौकिया पान कहने का चालान है। पान खाने का चालान कोई नया नही है कहा जाता है कि मुगल रानी नूरजहाँ पान खाने की शैकीन थी। हिंदी और भोजपुरी गीतों में भी पान का बखान मिलाता है। अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत हिंदी फिल्म 'डान' के गीत खइके पान बनारस वाला.... ने बनारसी पान को विशेष पहचान दिलाई। बनारसी पान

कि विशेषता बताते हुए बिपिन चौरसिया कहते हैं कि बनारसी पान को जानना है तो एक बार इसे खा कर देखिए। पान के व्यवसाय के लिए हमारे देश में तो बाकायदा बरई(चौरसिया) नामक एक जाति है, हालांकि पनवाड़ी का काम अब सिर्फ चौरसिया ही नही करते हैं अन्य जातियों के लोग भी पान बेचते हैं।

बनारसी साड़ी

बनारस कपड़ा बुनाई का बड़ा केन्द्रथा और कबीर ने तो ताना- बाना और बुनना के इर्द गिर्द बहुत कुछ लिखा। बनारस अपने रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है खास कर यहाँ की रेशम की बनी बनी साड़ी। बनारसी साड़ी एक ब्रांड है। पडोसी जनपद मऊँ और आजमगढ़ के मुबारकपुर में बनाने वाली रेशम की साड़ियाँ भी बनारसी साड़ी के ब्रांड के बैनर तले बिकती हैं। बनारसी साड़ियाँ हल्की, मिलें और आरामदायक होती हैं।

बनारस की बसावट

बनारस का गड़वाघाट, सीर गोवर्धन, कटेसर, बहारपुर, कुंडाकला, सुजाबाद बनारस के वे मोहल्ले हैं जहाँ से भैसें गुजरी और मोहल्ले बसते गये। आज भी इन गांवों में बड़े पैमाने पर भैंस पालक जातियां बसती है। प्रो. कांचाइलैया ने नए बसावटों का श्रेय पशुपालकों को दिया है खास कर भैंस पालकों को। उनकामानना है कि मैदानों, पहाड़ों और जंगली जानवरों की सबसे अच्छी जानकारी यादवो के पास ही है। गावों का विस्तार गड़रियों की इन्ही खोजों पर पर निर्भर करता था। बाद में बसावट जहां नदियों के मिलन स्थल थे वहां हुए। गांव के बसावट को के पीछे जिन चरवाहों का इतना बड़ा योगदान रहा, उनपर भारत में अभी तक कोई शोध भले ही नहीं हुआ पर बनारस के मंदिरों में सबसे पहले जल चढ़ने की परम्परा इस तर्क को पुष्ट करती है कि बनारस अहीरों द्वारा आबाद हुआ। आज भी काशी के सबसे बड़े मंदिर में सावन के पहले सोमवार को अहीर ही सबसे पहले जलाभिषेक अहीर ही करता है। बनारस की बसावट उस प्रकार से नियोजित नही थी जिस प्रकार से हड़प्पा कालीन नगर थे। काशी की सकरी और टेड़ी मेड़ी गलियां उसके पूर्णरूप से देशज होने की तरफ इशारा करती है।

बनारस का मडुआडीह जिसका नाम मांडूर नामक संत के नाम पर पड़ा जो जाति से चमार थे। संत रैदास चमार जाति से थे और चमड़े के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। कबीर जुलाहा थे और काशी में निवास करते थे। सब मिलाकर बनारस में तथाकथित छोटी जातियां निवास करती थी। यह इस परंपरा को बल प्रदान करता है कि बनारस अहीरों, चमारों, जुलाहों और छोटी जाति के लोगों का था।

कबिरा खड़ा बनारस में...

कहा जाता है कि बनारस में कुछ ऐसी अड़ियल चीजें हैं जो पूरी तरह से बदलने नही दे रही हैं। दुनिया के बड़े-बड़े ज्ञानियों को जब भी अपने ज्ञान का परीक्षण देना होगा तो बनारस से लोहा लेना पड़ेगा, बनारस से दो-दो हाथ करना ही पड़ेगा। इसीलिए बनारस बना हुआ है कि यहाँ उधोग धंधे नही हैं, यहाँ से बम्बई की ओर ठुसी हुई जाने वाली रेलें चीख चीख कर बनारस के बने रहने को बताती हैं। बम्बई में भी बनारस की महत्ता खूब मानी जाती थी लेकिन किस तरीके का बनारसीपन, बनारस का अल्हड़पन की चीजे तो है लेकिन उसका तत्व कहीं खो गया है, एक प्रकार से परिवर्तन के प्रति बड़े बड़े विरोधों किया यहाँ पर आकर टकराहट होती है। ऐसा कहा जाता है कि कबीर और रैदास की वातें गुरुवाणी में है और सरदार पूरी दुनिया में छा गए।

'बचऊ और बीएचयू'

बीएचयू की स्थापना में सीरगोवर्धन के बचाऊ बीर यादव (बचऊ पहलवान) का भी अहम योगदान रहा है। बीएचयू की बाउंड्री बनाते समय हुए विवाद में उन्होंने प0 मदन मोहन मालवीय की जान बचाई थी। पहले भी मालवीय जी और दबंगों का कई बार विवाद हो चुका था। मालवीय जी चले गए लेकिन बचऊ यादव 20 से ऊपर दबंगों से अकेले भिड़ गए। गंडासे और बल्लम के प्रहार से उनकी मौत हो गई।उनकी हत्या के 6 साल बाद दो लोगों को फांसी की सजा हुई।

बीएचयू की बाउंड्री में दो गज जमीन भी नसीब नही हुई। सड़क के इस पर घर वालों ने अपने व्यक्ति गत प्रयास से अपनी जमीन में उनका एक स्मारक बनवा दिया है।

अल्लहड़ मस्त बनारस

बात बनारस की हो और गीत संगीत की न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ गीत संगीत का संबंध परम्परागत भारतीय गायन बिरहा से है, जिसकी सीमा सिर्फ बनारस तक ही नही रही, जहाँ जहाँ पूर्वांचल के लोग गए अपने साथ बिरहा को भी ले गये। बिरहा पूर्वांचल के अहीरों द्वारा गया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है।

गुरु पत्तू यादव

काशी नाथ यादव

बुल्लू यादव

गुरु पत्तू ने लोक गायकी के क्षेत्र में बिरहा को स्थापित किया आज भी जब कोई बिरहिया अपना गायन शुरू करता है तो गुरु पत्तू का नाम लेना नही भूलता है।

बिरहा में गुरु पत्तू से लेकर पारस, राम खेलावन, रामदेव, हीरा जैसे गायकों की लंबी श्रंखला रही है। गायन के शेत्र में ये लोग बनारस की शान हुआ करते थे। बिरहा जगत में काशी और बुल्लू यादव की जोड़ी मशहूर है।

बीररस से लेकर करुण रस तक उनकी बराबर पकड़ रही। इन्होने ने बिरहा को आंचलिक संगीत से उठा कर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। हालांकि, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी बनारस के लोगों की यादों में जिंदा है।

कबीर चौरा

चौरा का संबंध चबूतरा या चौराहा से है जिसका उपयोग संवाद करने के लिए किया जाता था। यह गोलाकार होता है, जिसमे बातचीत (संवाद) करते हुए लोग एक दुसरे को देख सकतें है। यह बैठक का सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसमे कोई ऊँच नीच नही होता है, ऐसा रहा होगा कबीर चौरा जहां कि कबीर लोगों के साथ संवाद किया करते थे। आज की भाषा में बुद्धिजीवी विमर्श हुआ करता था, कबीर के उपदेशों और वाणी को कबीरा कहा जाता था लेकिन कबीर को ऐसा मटियामेट किया गया कि कबीरा अश्लीलता और भबड़ेपन का पर्याय बन गया, पूर्वांचल और आस पास के क्षेत्रों में फाल्गुन महीने में होली के दौरान कबीरा बोला जाता है जिसमे अश्लील गलियां होती है। कबीर को पूरी तरह से विकृत कर दिया गया।

ज्ञान के परीक्षण के लिए लेना होगा बनारस से पंगा

बड़ी पुरानी कहावत है 'गुरु गुरुवै रह गए चेला चीनी बन गए'। यह कहीं और कहीं पर लागू हो न हो लेकिन बनारस पर बड़ी सटीक लागू होती है। दुनिया का सबसे बड़े ज्ञान देने वाले बुद्ध यहीं आ कर अपना संदेश दिए थे। जिनको संतो का संत कहा जाता है रैदास, जिनको मीराबाई गुरु मानती थी। राजस्थान तक जिनकी धाक थी। संत शिरोमणि रैदास ने यहीं ज्ञान दिया था। लोग कहते हैं कि सीर करहिया में ही अपना सन्देश दिए थे, उनका भी ज्ञान समेत दिया गया लेकिन जनता के मन में तो है। पाखंड और पुरोहितवाद से जबरदस्त रूप से पंगा लेने वाले कबीर, जिन्होंने यहाँ तक चुनौती दी और कहा कि ' जो काशी में मरे कबीरा'। उन्होंने जीने और मरने के सत्य को जान लिया था और मरने को जानकार वो मगहर चले गये इसीलिए कहा जाता है 'सब दिन काशी मरत के मगहर', इस बात को सिद्ध किया कि बनारस में मरना कोई जरुरी नहीं। ब्रहामंवादी व्यवस्था में आस-पास के लोग मृतकों को बनारस के घाटों पर जलाते है, जो बहुत दूर के है, बनारस में नही जला सकते वो अस्थि विसर्जन के लिए बनारस आते है। बनारस में मरने और अस्थि विसर्जन का लोग मोह आज तक नही छोड़ पाए जबकि कबीर ने आज से लगभग 600 साल पहले इस बात चुनौती दिया। ▪

नरेन्द्र प्रताप @ +91 9453171770

रहबू न गुलाम, न बहइबु आँसुवा... इतिहास तो इनका भी लिखा जाना चाहिए था।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा की घटना को 100 साल पूरे हो गये हैं। सरकार द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया है। चौरी चौरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कुछ निर्णायक घटनाओं में था, जिसके नाम पर गाँधी जी ने खूब वाहवाही बटोरी लेकिन चौरी-चौरा के नायकों को जो सम्मान मिलना था वो नही मिल पाया। इतिहासकारों ने इनका इतिहास लिखने में कंजूसी की। किताबों में थाना जलाये जाने और 22 (कहीं कहीं 23) पुलिस वालों की मौत का जिक्र है। सुमित सरकार की इतिहास की पुस्तक 'आधुनिक भारत' और सुभाष चंद्र कुशवाहा की पुस्तकों में कुछ नायको का जिक्र मिलता है।

डॉ. लालरत्नाकर द्वारा बनाया गया छायाचित्र

इस आन्दोलन को जगाने वालों में नजर अली और लाल मुहम्मद का नाम है। डुमरी खुर्द के साथ लाल मुहम्मद, नजर अली, भगवान दास अहीर, अब्दुल्ला, इन्द्रजीत कोइरी, एक चिमटे वाला संन्यासी और श्यामसुन्दर भी नेतृत्वकारी भूमिका में थे। चौरी चौरा के नायकों में अधिकतर दलित, पिछड़े और मुसलमान जातियों से थे जिसके कारण ये इतिहास की विषयवस्तु नही बन सके। चौरी चौरा के नायकों में कोमल पहलवान भी थे, चमरऊ गीतों में उनकी बहादुरी के किस्से मिलते हैं।

कोमल यादव पहलवान

गोरखपुर क्षेत्र के मशहूर कोमल पहलवान सहुआकोल,भइसहवा के रहने वाले थे। जब चौरी-चौरा थाना जलाया गया, तब वह वहां उपस्थित था। चमरऊ नाच या इन्द्रासनी नाच वाले गाते हैं-

सहुआकोलं में कोमल तंपले,
फूंकले चौराथाना।
ठीक दुपहरिया चौरा जर गइल,
कोई मरम नहीं जाना,
भइया कोई मरम नहीं जाना...
भइया जीय हो जीय।

पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में कुश्ती लोगों का प्रिया खेल था जिसके लिए दंगलों का आयोजन होता था। बडी संख्या में पहलवानों और ग्रामीणों का जमावड़ा हुआ करता था। पहलवानों में आपसी रिश्ते प्रगाढ़ होते थे और सब एक दूजे के कहे का सम्मान भी करते थे। 4 फरवरी को डुमरी खुर्द में सभा बुलाने की सूचना, पहलवानों के माध्यम से भी दूर-दूर तक फैलाई गई थी। चौरी चौरा विद्रोह के अधिकांश अगुवा अपने समय के नामी पहलवान थे, चाहे नजर अली, लाल मुहम्मद, भगवान अहीर या अब्दुल्ला हों या बिकरम अहीर। कोमल यादव जिन्हें सरकारी रिकार्ड में डकैत कही जाता था, का क्षेत्र में दबदबा था। वैसे भी पहलवानों के शारीरिक शैष्ठव और बल के कारण लोग महत्व देते थे। अपने कद काठी के कारण वे अलग ही दिखाते थे। चौरी चौरा की घटना के समय कोमल यादव चौरा थाने पर मौजूद थे। बाद में कोमल यादव की भी गिरफ्तारी हुई। उन्हें गोरखपुर के जिला कारागार में बंद किए गये। इस कांड के युवा पहलवान और अभियुक्त नेऊर अहीर (डुमरी खुर्द) को गोरखपुर जिला कारागार से कोमल ने 18 जुलाई, 1922 को अपने साथ भगाने का असफल प्रयास किया था लेकिन नेऊर भागने की हिम्मत न जुटा सके। कारागार से भागे हुए कोमल पहलवान, चौरी चौरा घटना के 18 माह बाद एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में आ गए और 1924 के गर्मी के महीने में उन्हें फांसी दे दी गई थी।

लोक साहित्य में कोमल की शूरता का जिक्र बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है जो उनके जनप्रिय होने का प्रमाण है। कोमल की गिरफ्तारी में अपने ही गद्दार साथियों का हाथ था। लोकगीतों पर भरोसा करें तो कोमलं को गोरखपुर से कुशीनगर के रास्ते में पड़ने वाले कुसम्ही जंगल से गिरफ्तार किया गया था-

साथी गद्दार हो गइले,
गोरा दिहले रुपइया हो,
कुसम्ही जंगल में पकड़इले कोमल
भइया हो।

कोमल की फांसी को लोक गायक इस प्रकार गाते हैं-

देश में केतना गोरा अइहें,
केतना कोमल झुलिहें फंसिया,
माई रहबू ना गुलाम,
ना बहइबू अंसुवा।
मनले ना गोरा,
दिहले फंसिया झुलाई
सुन के नगरिया शोकवा में
डूबी जाई रोवे नर-नारी
जब मिलल बाड़ी लशिया
माई रहबू ना गुलाम,
ना बहइबू अंसुवा। ▪

▪ बसावन इंडिया डेस्क

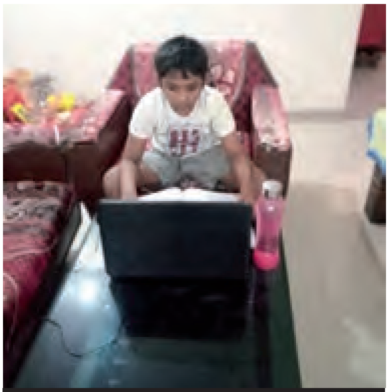

कोरोना में दूभर भई पढ़ाई

कोविड-19 महामारी ने भारत के स्कूलों में पहले से ही व्याप्त असमानता को और बढा दिया है। इसके लिए सरकार को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी स्कूलों में व्यापक निवेश करना चाहिए ताकि गरीब एवं अन्य वंचित वर्ग के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखा जा सके क्योंकि अगर एक भी बच्चा ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाता है, तो पढ़ाई का ये माध्यम अन्यायपूर्ण होगा. केंद्र और राज्य सरकारों को ये प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए कि वो आगे चलकर सभी शिक्षण संस्थानों को ब्रॉडबैंड सेवा और ऑनलाइन शिक्षा के लिए उचित यंत्र मुहैया कराएंगे.

इस मामले के आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सहाना मूर्ति का मानना है कि आमने सामने की पढ़ाई से अचानक ऑनलाइन माध्यम में स्थानांतरित होने से शिक्षा प्रदान करने का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। इस ऑनलाइन शिक्षा को आपातकालीन रिमोट टीचिंग कहा जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन और इमरजेंसी ऑनलाइन रिमोट एजुकेशन में बहुत फर्क है। ऑनलाइन शिक्षा अच्छी तरह से अनुसंधान के बाद अभ्यास में लाई जा रही है। बहुत से देशों में तालीम का ये माध्यम कई दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पाठ्यक्रम को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके। इसके मुक़ाबले भारत के शिक्षण संस्थानों में इस ऑनलाइन शिक्षा की उपलब्धता काफ़ी कम है। अब अगर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं, तो उन्हें इस रिमोट ऑनलाइन एजुकेशन और नियमित ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होगी, यदि देश में कोविड-19 के मरीज़ों की तादाद बढ़ती रही, तो शिक्षण संस्थानों को नियमित ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करनी होगी।

» उपलब्धता की चुनौतियां

नेशनल सैंपल सर्वे के शिक्षा से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि देश में केवल 24 प्रतिशत घरों में ही इंटरनेट की सुविधा है। इनमें से 42 फ़ीसद शहरी क्षेत्रों में हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के केवल 15 प्रतिशत घरों में इंटरनेट की सुविधा है। 11 प्रतिशत घरों में अपने कंप्यूटर हैं। गांवों में केवल 4.4 प्रतिशत घरों में अपने कंप्यूटर हैं। इसमें स्मार्टफोन को शामिल नहीं किया गया है। देश के बड़े तकनीकी संस्थानों यानी की आईआईटी के दस प्रतिशत या इससे भी अधिक छात्रों ने कहा कि वो स्टडी मैटीरियल को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं या वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं। छात्रों ने इसकी वजह कभी तो कनेक्टिविटी और कभी अपर्याप्त डेटा प्लान बताई। छात्रों को बिजली, ख़राब कनेक्टिविटी या सिग्नल न मिलने की चुनौतियां झेलनी पड़ रही थीं। केवल 30 प्रतिशत भारतीय आबादी के पास ही स्मार्टफोन हैं, तो आपको पता चलेगा कि देश की कुल आबादी का बेहद छोटा सा हिस्सा स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है। टीवी चैनल का इस्तेमाल शिक्षा के लिए करना भी समाधान नहीं है, देश के केवल 67 प्रतिशत घरों में ही टीवी है।

» क्या होना चाहिए

स्वास्थ्य महामारी के साथ-साथ आर्थिक झटकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में, को देखते हुए शिक्षा देने के लिए तकनीकी-आधारित उपायों की पहुँच और कम होने की संभावना है। इसका सीधा कारण यह है कि खर्च करने योग्य आय में भारी कमी की वजह से गरीब वर्ग के लोगों द्वारा इंटरनेट पैक की लागत वहन कर पाना असंभव है। ऐसे में वर्कशीट्स को

विक्रमजीत
प्रवक्ता

कोविड संकट के दौरान देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया। कई राज्यों की सरकारों ने स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन करने का प्रावधान किया। इसमे एनजीओ, फ़ाउंडेशन और निजी क्षेत्र की तकनीकी शिक्षा कंपनियों को भी भागीदार बनाया गया। इन सब ने मिलकर शिक्षा प्रदान करने के लिए संवाद के सभी उपलब्ध माध्यमों का इस्तेमाल शुरू किया। टीवी, डीटीएच चैनल, रेडियो प्रसारण, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का भी सहारा लिया। स्कूली शिक्षा की तुलना में देखें, तो उच्च शिक्षा का क्षेत्र इस नई चुनौती से निपटने के लिए बहुत ही कम तैयार था। ऐसा माना गया कि सभी छात्रों के पास इंटरनेट सेवा है और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उपकरण यानी लैपटॉप/कंप्यूटर या मल्टीमीडिया सेट उपलब्ध हैं। जिसकी मदद से वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, परंतु ये बात स्कूल के स्तर पर भी ग़लत है और उच्च शिक्षा के स्तर पर भी। स्कूलों में जहां स्थानीय समुदायों के ही छात्र आमतौर पर पढ़ाई करते हैं वहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र दूर दराज़ से भी आते हैं। ये अलग अलग राज्यों के छात्र भी हो सकते हैं और ग्रामीण इलाक़ों के रहने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे में, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर अगर इसी आकलन पर कि सभी छात्रों के पास इसके संसाधन होंगे, तो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर छात्र, जो लॉकडाउन के बाद अपने घर लौट गए, उनके पास ऑनलाइन शिक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे। यदि एक भी छात्र ऑनलाइन शिक्षा के दायरे से बाहर रह जाता है, तो ये उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी।

समाचारपत्र प्रेस द्वारा मुद्रित कर उनका तेजी से वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

इसके अलावा एसएमएस और आईवीआरएस (इंटरैक्टिव वॉयस रेस्पॉन्स सिस्टम) के जरिए ज्यादातर बच्चों को निम्न तकनीक वाला उपयोगकर्ता इंटरफेस मुहैया कराया जा सकता है। साथ ही, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तकनीक आधारित प्रणाली से वंचित आदिवासी समुदाय और अन्य कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए। कुछ राज्यों ने इस तथ्य को स्वीकारना शुरू कर दिया है, जिनमें बिहार भी शामिल है जहाँ रेडियो कार्यक्रम की घोषणा की गई है। कई राज्यों ने इस तरह के प्रोत्साहनों को अपनाने के साथ-साथ ऐप्स व ऑनलाइन शिक्षण विकल्प भी विकसित किए हैं, लेकिन ये सब उपाय बहुसंख्यक विद्यार्थियों की पहुंच से काफी दूर हैं। इससे एक तरफ जहां शैक्षिक असमानता में वृद्धि हो रही है, वहीं अपर्याप्त सार्वजनिक कोष का इस्तेमाल अपेक्षाकृत सीमित विद्यार्थियों के पठन-पाठन में किया जा रहा है।

» अहम बातें

इसमें दो राय नहीं कि इस महामारी ने भारत के स्कूलों में पहले से ही व्याप्त घोर असमानता को और बढ़ाने का काम किया है। साथ ही, इसने लंबे समय से कायम विभाजन पर एक नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का काम भी किया है। इस संदर्भ में इस महामारी ने एक सुअवसर दिया है कि हम इस बात को समझ सकें कि निजीकरण, लघु प्रशासनिक तंत्र एवं मितव्ययिता को लेकर किए गए वादे सामान्य स्थिति में कभी पूरे नहीं किए गए, स्वास्थ्य आपातकाल की बात ही कौन करे। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये सरकारी स्कूल ही हैं जो अत्यंत दबाव की स्थिति में पोषण व शिक्षा के साथ-साथ अहम सुरक्षा कवच सुनिश्चित करते हैं।

इस स्थिति में सरकारों को सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी स्कूलों की फंडिंग को प्राथमिकता देने की जरुरत है। साथ ही, बच्चों की सेहत पर असर पड़ने वाले दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए उन्हें पोषण कार्यक्रमों को बढ़ाने पर अवश्य विचार करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे राष्ट्रीय संकट के दौरान विशेष हित समूहों (निजी स्कूलों) द्वारा अपने अस्थिर बिजनेस मॉडल को समर्थन देने संबंधी अनुचित मांगों पर बिल्कुल विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसकी बजाए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी स्कूलों में व्यापक निवेश किया जाना चाहिए ताकि गरीब एवं अन्य वंचित बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखा जा सके।

सुमनलता
@ +91 9450591835

नन्हे-मुन्ने का कोना

प्रिय साथियों,

बसावन इंडिया अपने नन्हे और मासूम सम्मानित लेखकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अवसर दे रही है। जिसमें हमारे नन्हे लेखक कविता, कहानी या कोई अन्य सामग्री जो प्रकाशित करने योग्य हो हमें भेजें। बसावन इंडिया उनकी रचनाओं का प्रकाशन उनकी फोटो के करेगी। तो उठाईये कलम और अपने संक्षिप्त परिचय के साथ लिख भेजिए हमें, अपनी फोटो के साथ हमारे व्हाट्सएप नम्बर-9453171770 पर भेज दीजिए। अगस्त अंक के लिए हमारे नन्हें लेखक विधान हैं। जिन्होंने लखनऊ से हमें लिखकर भेजा है।

दादा कहा करते थे

मेरे दादा हमेशा कहा करते थे कि अपनी जिंदगी अपने हाथ में है क्यों की तुमजो ठान लोगे वह तुम कर लोगे। अब चाहे वो पढ़ाई हो या नौकरी हो या फिर कुछ भी। यह बात पहली बार मुझे बिलकुल भी समझ नही आई पर यह तो उम्र का हिसाब है। जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे समझ में आता गया।

अब आप ही बताईए मेरे दादा क्या गलत कहते थे? मुझे तो लगता है कि मेरे दादा बिल्कुल सही कहते थे। और अगर इस बात को अपनी जिंदगी में लागू करेंगें तो सबको बहुत लाभ होगा।

▪ विधान

सामाजिक न्याय के सजग प्रहरी और बहुजन समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक नेता डॉ. मनराज शास्त्री जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनकी जनसरोकारों से जुड़ी प्रस्तुत है एक कविता।

कितना फर्क होता है

डॉ. मनराज शास्त्री

एक थी निर्भया
और एक थी मनीषा
कितना फर्क होता है
सवर्ण और दलित की
सुंदर, सलोनी बेटी होने में
अलग- अलग होते हैं
सुख -दु:ख, दर्द और खुशी के
समाज द्वारा गढ़े गये मानक
लालन- पालन और घटनायें
एक सी होने पर भी लोगों की
प्रतिक्रियायें जुदा- जुदा होती हैं
निर्भयासंग होती है दरिंदगी
गुप्तांग में उसके शैतानों ने
घुसेड़ दीं लोहे की राड
चीखी, चिल्लाई छोड़ने बचाने की
पुरजोर की गुजारिश और कोशिश
लेकिन हैवानियत रुकी नहीं
फेंक दी गई लावारिस, साथी चोटिल
खबर छपी अखबारों में
सारा भारत विचलित, विगलित हो गया
शहर दर शहर कैंडिल जला कर प्रदर्शन हुये
उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम
संस्कृति के रखवालों का शोर
सरकार पर निशाना, शैतानों पर चीत्कार
फांसीदो, फांसी दो की चतुर्दिक ललकार
उसके दर्द की अनुभूति हर दिल हर ओर
संवेदना, सहृदयता का गगनभेदी स्वर
भारत से सिंगापुर तक
उसको बचाने की कोशिश
क्या कुछ नहीं किया, पर रहे नाकाम
ऐसी ही हृदयविदारक घटना घटी
हाथरस में सफाईकर्मी की बेटी संग
नाम था मनीषा, अल्हड़ जवान थी शायद
सवर्ण युवकों की आंखें लगी थीं उस पर
हुआ जोर जुल्म उसके साथ
अंग प्रत्यंग तोड़े गये, राड़ का भी प्रयोग
परिजन रोते, गिड़गिड़ाते
लेकिन थाने में रिपोर्ट तुरत लिखी नहीं
अलीगढ़ में बेमन से अस्पताल में
पुलिस प्रशासन ने भर्ती कराया
बहुत से तथ्य छिपाये गये
न अखबार, न संस्कृतिरक्षक न कैंडिल मार्च
कोई चुप तो कोई शांत , कोई हलचल नहीं
अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश
परिजन दोषी ठहराये जाने लगे
आनर किलिंग का मामला बनाया जाने लगा
आखिर अस्पताल में हालत बिगड़ने लगी
उसे दिल्ली भेजा गया पर वह न बची
उसका शव घर लाया गया
पर घरवालों को नहीं दिखाया गया
रात के अंधेरे में उसको जलाया गया
न पिता ने देखा, न माता ने , न भाई ने
तरह- तरह के दबाव, धमकियां आने लगीं
गुनहगारों की जातीय पंचायतें होने लगीं
सभी सवर्णों में मच गई खलबली
मूंछों की इज्जत बलबलाने लगी
प्रदेश के मुखिया बहुत तमतमाये
तुरत जांच कमेटी बनायें औरउलझाये
एसआईटी से सीबीआई तक जांच कर चुके
परिणाम आजतक कुछ मालूम नहीं
बेटियां बेटियां हैं मगर
जातियां ऐसा मानती नहीं
कोई बेटी हैइज्जत मां- बाप की
कोई बेटी खिलौना है बडी जाति की
देखिये आप अपनी आंखें खोल कर
पैदा इसी देश मेंहुई निर्भया
मनीषा भी पैदा इसी देश में।

सदस्यता रसीद

पत्राचार का पता : देशराज एडवोकेट, 12बी/284, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ.प्र.) | मो.: 9415767238

मैं बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के लिए सदस्यता ले रहा / रही हूं।

श्री / श्रीमती : ....

पता पिन कोड सहित : ....

मोबाईल नं. : .... ईमेल आईडी : ....

नगद राशि शब्दों में : ....

☐ **वार्षिक ₹ 300/-** ☐ **2 वर्ष ₹ 500/-** ☐ **5 वर्ष ₹ 1000/-**

☐ **10 वर्ष ₹ 5000/-** ☐ **आजीवन ₹ 10,000/-**

प्राप्तकर्ता का नाम
मो.:

हस्ताक्षर

Advertisement Rate Card

Ad On Page	Rate	Colour/BW	Print Area
Full Page Front Inside	50,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back Cover	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back In Side	30,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	20,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	15,000/-	B/W	19 cm x 13cm
Quarter Page	15,000/-	Colour	123.5 Sqm
Quarter Page	10,000/-	B/W	123.5 Sqm
1/8 Page	10,000/-	Colour	61.75 Sqm
1/8 Page	5,000/-	B/W	61.75 Sqm

बसावन नामा

आपके सामने प्रस्तुत है हमारे प्रथम अंक के सुधिपाठकों के द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिक्रिया

बसावन इंडिया बड़े प्रतिष्ठान की व्यावसायिक पत्रिका से टक्कर लेती है

बसावन इंडिया का प्रवेशांक मिला। धन्यवाद। आपने बहुत उम्दा पत्रिका निकाली है, न सिर्फ बढ़िया कागज है, बल्कि साजसज्जा भी उत्तम कोटि की है, जो किसी भी बड़े प्रतिष्ठान की व्यावसायिक पत्रिका से टक्कर लेती है। सामग्री का चयन आपकी गहन संपादकीय प्रतिभा का परिचायक है। बहुजन पत्रकारिता में यह अवश्य ही अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाएगी।

एक बार पुनः धन्यवाद और आपके कार्य को बधाई।

कँवल भारती
रामपुर, उ.प्र.

बसावन इंडिया समाज एक नई दिशा देती है

बसावन इंडिया पत्रिका के प्रकाशन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा है यह पत्रिका समाज को एक नई दिशा देगी।

राजनारायण
संयोजक, जनहित अभियान, लक्ष्मी नगर, दिल्ली

बसावन इंडिया लोकतंत्र, समता-स्वंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों पर

बसावन इंडिया का प्रथम अंक उन पाठकों को आकर्षित करेगा जिन्हें लोकतंत्र, समता-स्वंत्रता और बंधुत्व के प्रति आदर रखते हैं। उन पाठकों के लिए यह पत्रिका जरूरी है जी समाज मे फैली गैर-बराबरी शोषण और असमानता के प्रति चिंतित हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा गैर-ब्राह्मणों को मंदिरों में पुजारी नियुक्त किये जाने का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है कि ब्राह्मणवादी कांसेप्ट को स्वीकार करने के बजाय उसके बरक्स बहुजन विचार को फैलाया जाता।एक बेहतरीन पत्रिका है। संपादकमंडल को विशेष बधाई।

रमेश कुमार मौर्या
प्राथमिक शिक्षक आजमगढ़
उत्तरप्रदेश

बसावन इंडिया की दस्तक

एक ऐसे समय में, जब देश में जातिवाद और साम्प्रदायिकता को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिशें तेज हैं, आदिवासियों को उजाड़ने-भगाने एवं उन्हें खत्म की साजिशें परवान चढ़ रही हैं और अंधविश्वास, पोंगापंथी और ज़ाहिलपन को संस्थागत रूप देने का महा अभियान चल रहा है, ऐसे में बसावन इंडिया की दस्तक बहुत-सी सकारात्मक उम्मीदों को पैदा करती दिखती है। पत्रिका के पहले अंक का तेवर यह बताता है कि इसका उद्देश्य केवल हंगामा खड़ा करना नहीं बल्कि देश में सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन का संकल्प लेकर यह पत्रिका हमारे बीच उपस्थित हुई है। पत्रिका वैचारिक ऊष्मा और मिशनरी ऊर्जा से भरपूर है। खासकर बहुजन महापुरुषों के कार्यों एवं उनके विचारों से अवगत कराना पत्रिका की सोद्धेश्यता को स्पष्ट करता है। आज बहुजन आंदोलन के समक्ष जिस तरह की चुनौतियाँ खड़ी हैं, उनसे पलायन न करते हुए आंदोलन की जमीन को मजबूत करने की दिशा में काम करना और उन पर खुलकर बात करना बसावन इंडिया के प्रति पाठकों के भरोसे को बढ़ाता है। हम इस गंभीर पहल का स्वागत करते हैं और पत्रिका के संपादक श्री नरेंद्र प्रताप एवं उनकी पूरी टीम को साधुवाद व बधाई देते हैं तथा पत्रिका अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा सजग और प्रतिबद्ध रहे, इसकी मंगलकामना भी करते हैं।

डॉ. सुनील कुमार (सुमन)
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एवं प्रभारी
क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता, महात्मा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

प्रिय पाठकों, आपके बहुमूल्य सुझाव हमारें लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा भेजी गयी प्रतिक्रिया बसावन इंडिया बेहतरीन बनाने में उपयोगी होगी। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया व्हाट्सएप नम्बरों पर भी भेज सकते हैं। आप अपने टाईप किये हुए लेख बसावन इंडिया की मेल आईडी- basavanindia@gmail.com पर भेज सकते हैं, यदि हमारी संपादकीय टीम आपके लेख का चयन करती है आपके लेखों को बसावन इंडिया में प्रकाशित किया जाएगा एवं जिसके लिए उचित पारितोषक भी प्रदान की जाएगा।

संपादकीय

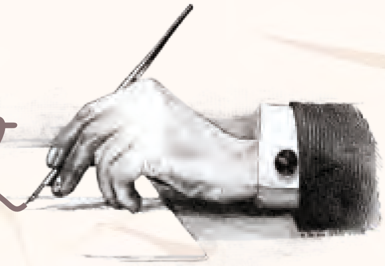

पिछड़ों को लेकर जितना विमर्श इधर कुछ दिनों से चल रहा है, शायद मंडल लागू होने के दौरान भी इतना नहीं हुआ होगा। 90 के दशक में समर्थन और विरोध दोनों में देशव्यापी आंदोलन हुआ, लेकिन पिछड़ी जातियां कभी समूह के रूप में विमर्श के केंद्र में नहीं आई पर 21वीं सदी का 21वां साल ओबीसी को ऐतिहासिक बनाता जा रहा है। पहली बार केंद्र की कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्री बनाने को लेकर कितना हल्ला मचाया गया, मीडिया में भी 27 मंत्रियों को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार के पहले से ही जोर शोर से बताया गया। कई सवर्ण मंत्रियों से इस्तीफा लेकर इस बात का साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि पिछड़ों को कैबिनेट में ज्यादा हिस्सेदारी दी जा रही है। संसद में मंत्रियों के परिचय के दौरान भारी हंगामे को प्रधानमंत्री ने इस रूप में पेश किया कि विपक्ष पिछड़े लोगों को नहीं देखना चाहता। इतना ही नहीं ओबीसी मंत्रियों से ही मेमोरेंडम लेकर तुरंत NEET में 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने को सरकार ने खुद ऐतिहासिक फैसला करार दिया। यह फैसला इतिहास में कितना दर्ज होगा यह तो समय तय करेगा लेकिन पिछड़ों में पिछड़ापन का अपनापन लाने में दो कदम आगे जरूर बढ़ाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां जहां तक जातीय समाज है वहां तक यह बात महसूस की गई।

सरकार ने पिछड़ों की सूची में किसी जाति को डालने का अधिकार राज्यों को दे दिया। संसद का सत्र भले ही हंगामे की भेंट चढ़ा पर पिछड़ों के मामले पर बिना विचार-बहस के भी संसद एकमत दिखी। एक मत से पारित होना एक बात है पर विमर्श से बने कानून और नियम के नफा - नुकसान पर चर्चा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत जरूरी होती है। जैसा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हुआ तो 48 घंटे में संसद में सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई और 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। जबकि तमाम लोगों का मानना है कि यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक था क्योंकि एक तो 50 प्रतिशत से अधिक हो गया, दूसरे गरीबी किसी की भी दूर की जा सकती है और अमीर से फिर गरीब बना जा सकता है पर जाती नहीं बदली जा सकती। लेकिन पिछड़ी जातियों की सूची में राज्यों के अधिकार देने की कार्यवाही ने पिछड़ों की विचार-बहस को तेज किया। और फिर पिछड़े लोगों की गिनती को लेकर पिछड़े लोगों को अपनी आवाज बुलंद करने मौका मिल गया है। मुख्य धारा की मिडिया में जाति गणना को लेकर कई दिग्भ्रामित करने वाली खबरों पर सोसल मिडिया पर खूब चर्चा हुई और राजनितिक पार्टियों पर दबाव भी बड़ा। कई बड़े नेताओं विशेषकर सत्ता में साझीदार नेताओं के जाति जनगणना करने को लेकर बयान आये, जिससे सरकार दबाव में है। हालांकि, सरकार के एक पिछड़े (यादव) मंत्री ने संसद में स्पष्ट कर दिया कि सरकार जनगणना में जाति शामिल नहीं करेगी। लेकिन, देश के कोने-कोने में जाति गणना को लेकर अब धरने प्रदर्शन भी चालू होते दिख रहे है। लोग कहने भी लगे हैं कि जनगणना में अगर जाति का कालम नहीं तो जनगणना नहीं। इसलिए आने वाली जनगणना से पहले सरकार को इस झंझावत से जूझना होगा, कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के विधान सभा चुनावों से पहले इस पर ठोस निर्णय लेना होगा। फिलहाल बसावन इंडिया का दूसरा अंक आपके सामने है, जिसमे इन तमाम मुद्दों पर पड़ताल करने कि कोशिश कि गई है।

शुभकामनाओ सहित ...

नरेन्द्र प्रताप

नरेंद्र प्रताप

बसावन का छायाचित्र

बसावन 1580-1600 में फले-फूले, मुगल शैली में एक भारतीय लघु चित्रकार थे। उन्हें उनके समकालीनों द्वारा एक कुशल रंगकर्मी और मानव प्रकृति के एक बेहतरीन पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाता था। उन्हें अकबरनामा, जो मुगल सम्राट, अकबर की आधिकारिक जीवनी है और जिसे भारतीय कला में एक नवाचार के रूप में देखा जाता है, बसावन को उनके चित्रण के लिए जाना जाता है।

भक्तापुर (संत रविदास नगर)
ग्रामसभा की जातीय भागीदारी

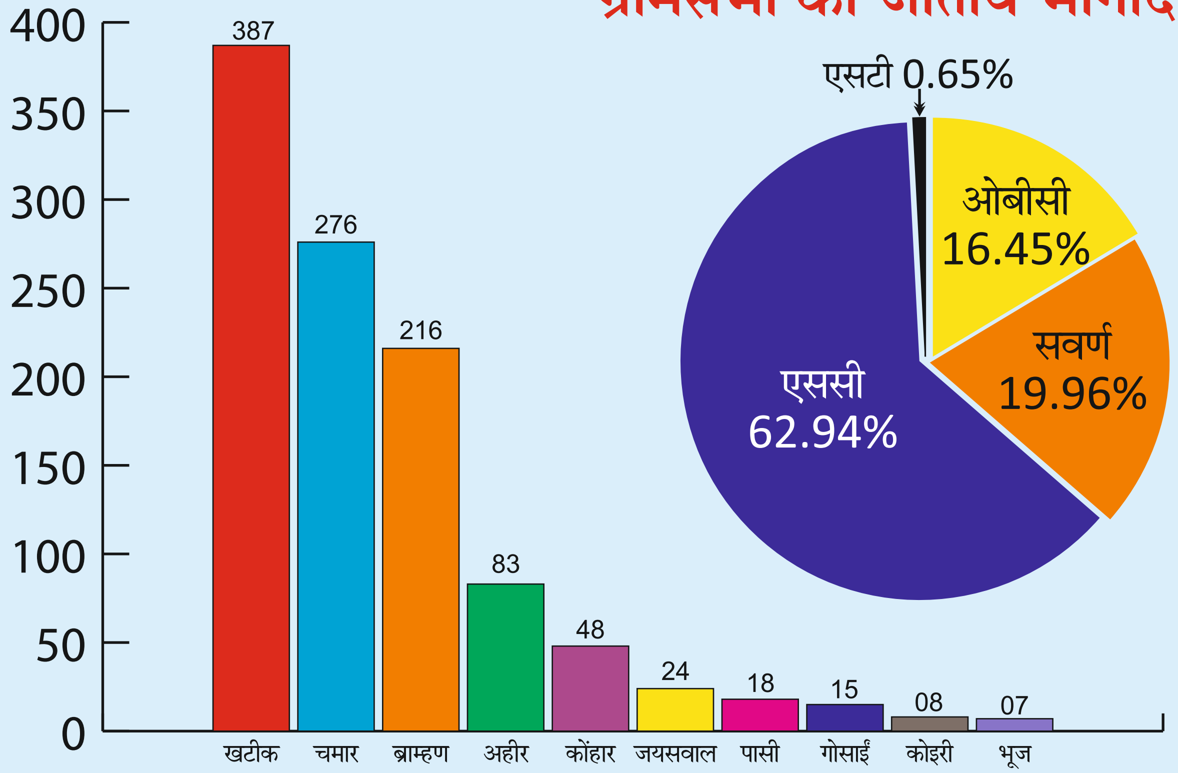

सन्तोष गैस्ट्रो केयर क्लीनिक

डॉ. सन्तोष कुमार यादव

M.B.B.S. (KGMC), M.D. (Medicine), (Gold Medalist), D.M. (Gastro)

पेट, आंत एवं लिवर रोग विशेषज्ञ

M:7080900811, 8726316476

उपलब्ध सुविधायें

1. एन्डोस्कोपी / कोलोनोस्कोपी मुँह / गुदा के रास्ते (बच्चों तथा वयस्क)
2. ई.आर.सी.पी. (ERCP) पित्त के नली में पथरी / रूकावट का इलाज।

निम्न रोगों के लिए सम्पर्क करें

- गैस, बदहजमी, कोलाइटिस, उल्टी, डायरिया, बवासीर, उल्टी में खून, लैट्रिन में खून का आना।
- पेट में दर्द, पेट का फूलना, भूख न लगना, वजन कम होना, लीवर सिरोसिस, पीलिया, हेपेटाइटिस एवं शराब सम्बन्धित पेट की बीमारियाँ, पैंक्रियेटाइटिस।

सा 15/144-4के, चन्द्रा चौराहा, आशापुर रोड, (बालू मण्डी के बगल में) वाराणसी

समय - प्रातः 10.00 से दोपहर 03.00 बजे तक